बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले

रवाफ़िज़ के बुनियादी ऐतिराज़ात
का इल्मी व मुहतोड़ जवाब

रद्दे रवाफ़िज़

(शिअत व मौलाइयत का रद्द)

तस्नीफ़े लतीफ़

मुजद्दिद अल्फ़ सानी इमाम रब्बानी शेख़ अहमद सरहिंदी رحمۃ اللہ علیہ

मुतर्जिम :

सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी

GKR Digital PUBLISHER

GKR Digital PUBLISHER

About Publisher

GKR (Ghaus o Khwaja o Raza) Digital Publisher ek Sunni Islamic digital publishing platform hai jo Islami kitaabon aur taleemaat ko nayi soch aur updated andaz me logon tak pahuchane ka kaam karta hai. Yah platform khas kar Islami kitaabon ko **Hindi aur Roman** script me translate karta hai, taaki ilm-e-deen (Islamic knowledge) ko aam logon aur khaas tabqe (awam aur khwas) tak asaan aur samajhne layak format me pesh kiya ja sake.

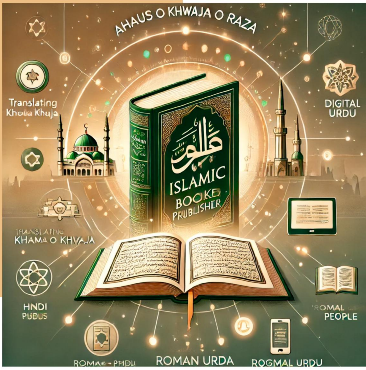

Join Team Member

Agar aap GKR ke saath judna chahte hain ya is platform ke zariye koi kitaab Translate/publish karana chahte hain, to yah ek behtareen moka hai ilm-e-deen ko doosron tak pahunchaane ka.

Founder :

Writer | Translator | Creator | Designer | Composer

Sufi Anwar Raza Khan Qadri

9534124663 (GP/Phone)

(Mureede Tajush Sharia)

Ba Faize Roohani Huzoor Khawaja Garib Nawaz

www.ghausokhwajaorazatrust.com

Donate to Islam

Anwar Khan

Indian Bank 8894

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

جَاءَ الۡحَقُّ وَزَهَقَ الۡبَاطِلُ إِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"हक़ आ गया और बातिल मिट गया; बेशक बातिल तो मिटने ही वाला है।"

(सूरह बनी इस्राईल, आयत नंबर 81)

अहले सुन्नत वल जमाअत की
नुमाइंदगी करने वाली, मुफ़ीद, भरोसेमंद और सहीह हदीसों
पर आधारित पसंदीदा किताब

रद्द-ए-रवाफ़िज़

अज़

मुजद्दिद अल्फ सानी

इमाम रब्बानी हज़रत शेख अहमद सरहिंदी क़ुद्दिस सर्रहू

हिंदी तर्जुमा
सूफ़ी अनवर रज़ा ख़ान क़ादरी
(मुरीद-ए-ताजुश्शरीआ)
Writer I Translator I Creator I Designer I Composer
राँची, झारखण्ड (इण्डिया)
बानी : ग़ौसो ख़्वाजा व रज़ा ट्रस्ट
9534124663

किताब नाम	:	रद्द-ए-रवाफ़िज़
मुसन्निफ़	:	मुजद्दिद अल्फ सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी
भाषाः	:	हिन्दी
कैटेगरी	:	रद्दे बातिल/अक़ाइद की इस्लाह
कंपोज़िंग और डिज़ाइनिंग	:	सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी
PDF	:	GKR Digital Publisher
साल	:	मार्च 2026
पेज	:	84

इस रिसाले की प्रूफ रीडिंग की गई है फिर भी अगर कोई ग़लती पाएँ इस नंबर पर एस एम एस या व्हाट्सप्प करें ताके हम उसकी दुरुस्तगी कर दें।

9534124663

हम्द व सना

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए

- जो 1 माबूदे हक़ीक़ी है । उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल (काम) में, न अहकाम में, न अस्मा में
- जिसने अपनी कुदरत से हमे तमाम मख्लूक में सबसे अफ़ज़ल यानी इंसान बनाया
- जिसने अपने फ़ज़्लों करम से हमे तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल अपने हबीब का उम्मती यानी मुसलमान बनाया
- जिसने अपने रहमो करम से हमे इस उम्मत के सवाद ए आज़म में से यानी सुन्नी बनाया।
- जिसने दौर के मुताबिक अपने वली हुज़ूर आला हज़रत के जरिये हमे सुन्नियों में अफज़ल यानी बरैलवी बनाया।
- तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है जिसके लिए हम बरैलवी हक़ वालों से महब्बत और बातिल फ़िरकों से नफ़रत करते है।
- दरूद व सलाम हो उस नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर जिसे तूने अपनी नूर की तजल्ली से बनाया और सारे जहां के लिए रहमत बनाकर हम गुनहगार उम्मतियों का नबी बनाया व सलामती हो असहाब पर और नबी के आल पर और सलामती हो उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात पर जिन्होंने तुझे राज़ी किया।

अर्ज़-ए-मुतर्जिम

बाद हम्द-ओ-सना और दरूद-ओ-सलाम के, यह अर्ज़ है कि इस फित्नों के दौर में जहाँ दीन-ए-इस्लाम की बुनियादों पर तरह-तरह के शुब्हात और एतराज़ात की आंधियाँ चलाई जा रही हैं, वहीं अहले-सुन्नत वल-जमाअत के असासे अक़ाएद की हिफाज़त और सहाबा-ए-किराम रद्विअल्लाहु अन्हुमा की अज़मत का दिफ़ा करना हर अहले-ईमान की जिम्मेदारी बन चुकी है।

"रद्द-ए-रवाफ़िज़" इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। इस किताब में उन बातों का इल्मी और दलीली जवाब पेश किया गया है जो रवाफ़िज़ के गिरोह की तरफ से सहाबा-ए-किराम, ख़ुसूसन खुल्फ़ाए सलासा के बारे में फैलाई जाती हैं।

यह किताब जज़्बाती नारों का मजमूआ नहीं, बल्कि कुरआन, हदीस और अकाबिरे-उम्मत के अक़वाल की रौशनी में एक तहकीकी और दलीली पेशकश है।

मुतर्जिम ने कोशिश की है कि असल मफ़हूम को पूरी अमानतदारी के साथ नकल किया जाए, और इल्मी ईजाफा के लिए कुछ अपने तरफ से हवाले के साथ ईजाफा किया है ताकि अवाम और ख्वास़ को आसानी से समझ आये। अगर कहीं कोई ख़ता रह गई हो तो वह मेरी कोताही है; अल्लाह तआला से दरख्वास्त है कि उसे माफ़ फरमाए और इस कोशिश को क़ुबूल फरमाए।

इस किताब का मक़सद हक़ को वाज़ेह करना और गुमराही से बचाना है। अहले-सुन्नत का मंसब इल्म, अदब और हिकमत के साथ दीन की वज़ाहत करना है।

दुआ है कि अल्लाह तआला इस किताब को अपने दीन की नुसरत का ज़रिया बनाए, और हमें सहाबा-ए-किराम रद्विअल्लाहु अन्हुमा की मुहब्बत और अदब पर क़ायम रखे।

वस्सलाम,

सूफ़ी अनवर रज़ा ख़ान क़ादरी
(मुरीद-ए-ताजुश्शरीआ)
Writer | Translator | Creator | Designer | Composer
राँची, झारखण्ड (इण्डिया)
बानी : ग़ौसो ख़्वाजा व रज़ा ट्रस्ट
9534124663

रिसाले के बारे में

यह रिसाला फ़ारसी ज़बान में है। दसवीं सदी हिजरी के अवाख़िर में, ख़ुरासान के रवाफ़िज़ ने हज़रात सहाबा रिज़वान अल्लाहु अलैहिम के ख़िलाफ़ फ़ित्ना सब व शतम बरपा किया तो उलमा-ए-मावर अन-नहर ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद व क़िताल के वाजिब होने का फ़तवा सादिर फ़रमाया चुनांचे अहले इस्लाम ने उन को ख़ूब सज़ा दी, मशहद का मुहासिरा किया।

इस दौरान राफ़ज़ी उलमा ने, उलमा-ए-मावर अन-नहर के फ़तवा का रद्द लिखा, वह तरदीदी रिसाला हिन्दुस्तान में पहुंच गया। और वहां भी फ़ित्ना बरपा हो गया। अकबरी व जहांगीरी दौर में मिर्ज़ा ग़ियास बेग और उसकी नूर नज़र नूर जहां की बदौलत रवाफ़िज़ ख़ूब परवान चढ़ रहे थे, अमीर और बड़े लोग से लेकर अवाम तक उनके असरात दिखाई देने लगे तो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी क़ुद्दिस सिर्रुहु ने उनके ख़ात्मे का तारीख़ी बीड़ा उठाया। आप ने रवाफ़िज़ से मुनाज़रे किए। यह रिसाला **रद्द-ए-रवाफ़िज़** भी इन्हीं मसाइ-ए- जमीला की एक कड़ी है।

हज़रत ख़्वाजा हाशिम कश्मीरी अलैहिर्रहमा "ज़ुब्दतुल मक़ामात" में फ़रमाते हैं कि आपने बहुत से मुबारक रिसाले अरबी और फ़ारसी में निहायत ही बुलंद दर्जे की फ़साहत और बलाग़त के साथ तस्नीफ़ फ़रमाए। उनमें से "रिसाला तहरीला" और "रिसाला **रद्द-ए-रवाफ़िज़**" ख़ास तौर पर क़ाबिले-ज़िक्र हैं।

यह उस दौर की बात है जब उन इलाक़ों में अहले तशय्यु' (शिया) बड़े रुतबे, शान और दबदबे में थे, और उन्हें सुल्तान से भी क़रीबी ताल्लुक़ और पूरी क़ुरबत हासिल थी। इसके बावजूद दीन और अहले दीन के साथ उनकी दुश्मनी अपने इंतिहाई दर्जे पर थी।

लेकिन अल्लाह तआला ने हज़रत को जो ग़ैरत-ए-इस्लामी अता फ़रमाई थी, उसकी बदौलत आपने इन हालात की कोई परवाह न की और पूरे हौसले के साथ हक़ का इज़हार फ़रमाया, और आपके इरादे में ज़रा भी कमज़ोरी पैदा न हुई। (सफ़ा 20)

हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा कि इस फ़ित्ने को ख़त्म करना मुसलमानों की गर्दनो पर हज़रत मुजद्दिद का एहसान है।

दर हक़ीक़त यह साला राफ़ज़ी उलमा के इस तरदीदी रिसाला का रद्दे बलीग़ है। हज़रत मुजद्दिद पहले उलमा मावर अन-नहर का फ़तवा नक़ल फ़रमाते हैं, फिर

शिया हज़रात का जवाब और उसके जवाब - में उलमा मावर अन-नहर की ताईद में दलाइल व बराहीन से इस्लामी अक़ाइद व नज़रियात को साबित करते हैं। जज़ाहू अल्लाहु अनिल इस्लाम वल मुस्लिमिन ख़ैरुल जज़ा मशीहउद्दीन सोज़ां ने इस रिसाला पर क्या ख़ूब तबसिरा फ़रमाया।

राफ़ज़ी फ़िरक़े का आग़ाज़ व इब्तिदा

इस फ़िरक़े का बानी हक़ीक़त में एक यहूदी शख़्स है जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सबा है। हज़रत मौलाना बद्रुल क़ादरी मिस्बाही साहब क़िब्ला अपनी किताब (इस्लाम और ख़ुमैनी मज़हब) में इस हक़ीक़त की वज़ाहत करते हुए तहरीर फ़रमाते हैं कि:

वाक़िआ यह है कि सैय्यदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद दौर-ए-उस्मानी में यहूद में से एक शख़्स ने अपने इस्लाम का दावा किया और मुसलमानों में शामिल हो गया, जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सबा था।

सबसे पहले उसने मक्का मुकर्रमा, मदीना तय्यबा, हुदूद-ए-हिजाज़, फिर बसरा, कूफ़ा, शाम वग़ैरा इलाक़ों में घूम-घूम कर मुसलमानों के हालात का बग़ौर जायज़ा लिया, ज़बान दराज़ और ख़ुश कलाम था, इसलिए जहाँ जाता लोगों को अपनी चरब ज़बानी से ख़ुश कर लेता। घूमता-फिरता जब वह मिस्र पहुँचा तो वहाँ का माहौल उसे अपने मक़ासिद के लिए मुनासिब मालूम हुआ, चुनाँचे वहाँ उसने लोगों से ख़ल्त-मल्त (मिलना-जुलना) शुरू किया, लोग उमूमन (आम तौर से) उसकी मीठी-मीठी बातें सुनने के लिए उसके गिर्द जमा हो जाते। उसने जब देखा कि अब कुछ लोग मेरी बातें तस्लीम करने लगे हैं तो फ़ित्ना साज़ ज़हन ने अपने तीर व नश्तर आज़माने शुरू किए। एक दिन अपने हम-नवाओं की मजलिस में उसने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफ़ज़ल व बुज़ुर्ग हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अक़ीदा है कि वह दोबारा आसमान से लौट कर दुनिया में आएँगे

अगर ईसा अलैहिस्सलाम लौट कर आ सकते हैं तो अफ़ज़लुर्रुसुल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों नहीं आएँगे? मुसलमानों में मालूम नहीं किस तरह यह ख़याल पैदा हो गया है कि हुज़ूर दोबारा दुनिया में नहीं आएँगे बल्कि वह ज़रूर आएँगे। यह पहली बद-अक़ीदगी थी जिसका उसने प्रचार किया और मिस्र के कई लोगों को गुमराह किया।

फिर उसने इस बात का शोषा उठाया कि हर बादशाह का जिस तरह वज़ीर होता है उसी तरह हर नबी का एक वसी होता है। (जिसके लिए यह वसीयत होती है कि वह मेरे बाद ख़लीफ़ा रहेगा) जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे तो ऐ मुसलमानो! क्या तुम पर यह लाज़िम नहीं कि जानो कि ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसी कौन है?

गोया मसअला-ए-वसी को उसने मुसलमानों में अहमियत दी, इस पर लच्छेदार तक़रीर की और कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा से भी अफ़ज़ल व बरतर हैं फिर भला मूसा अलैहिस्सलाम का तो वसी हो, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई वसी न हो? यह कैसे मुमकिन है?

जो लोग उसकी चरब ज़बानी के दाम (जाल) में आ चुके थे उन्होंने कहा, जनाब! अब आप ही इस उक़्दा (मुश्किल मामला) को भी हल करें और बताएँ कि हुज़ूर का वसी कौन है? इब्न सबा ने कहा हुज़ूर के वसी हज़रत अली हैं, हज़रत उस्मान ने ख़िलाफ़त पर नाजायज़ क़ब्ज़ा जमाया है जिस तरह अबूबक्र व उमर ज़बरदस्ती ख़िलाफ़त पर क़ाबिज़ थे। ऐ लोगो! हुज़ूर जब दोबारा तशरीफ़ लाएँगे तो तुम उनको क्या मुँह दिखाओगे कि उनके वसी को उनका हक़ न दिला सके?

इस तरह वरग़ला कर इब्न सबा ने ख़िलाफ़त-ए-इस्लामिया के बाग़ियों का एक गिरोह इकट्ठा कर लिया, मिस्र इन बाग़ियों का मरकज़ी मक़ाम था और कूफ़ा व बसरा वग़ैरा तमाम रियासतों में उसके नुमाइंदे काम कर रहे थे। इब्न सबा ने तरीक़ा-ए-कार यह बनाया कि अपने हम-ख़यालों को अक्सर उन शहरों में भेजा जहाँ सैय्यदना उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुक़र्रर करदा काज़ी व हाकिम थे।

राफ़ज़ियों के नज़दीक हज़रात खुलफ़ा-ए-सलासा काफ़िर व मुर्तद हैं (मआज़ अल्लाह)

हज़रात खुलफ़ा-ए-सलासा रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से इतनी सख़्त अदावत इस जमाअत वालों को है कि मआज़ अल्लाह उन्हें मज़हब-ए-इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बल्कि काफ़िर व मुर्तद समझते हैं और जो आयतें काफ़िरों, मुशरिकों और मुनाफ़िक़ों के हक़ में नाज़िल हुई थीं उन्हें मआज़ अल्लाह हज़रत खुलफ़ा-ए-सलासा पर फ़िट करते हैं।

राफ़िज़ी किसे कहते हैं?

राफ़िज़ी वह लोग हैं जिन्होंने अक्सर सहाबा-ए-किराम (रज़िअल्लाहु अन्हुम) को छोड़ दिया (यानी उनकी सुन्नत और इज़्माअ की पैरवी नहीं की), इमामत शैखैन (हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़िअल्लाहु अन्हुमा) और मसह अलल-खुफ्फैन (मोज़ों पर मसह करना) का इनकार किया। इसके अलावा, वह हज़रत अमीर मुआविया रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु और उनके मददगारों को बुरा भला कहते हैं। इन लोगों ने हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु त'आला वज्हहू की मुहब्बत में ग़ुलू किया है (यानी हद से आगे बढ़ा)।

राफ़िज़ियों के कुफ़्री अक़ाएद (फतावा रज़्वीया के मुताबिक)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरैलवी क़ुद्दिस सर्रुहू राफ़िज़ियों के कुफ़्री अक़ाएद से मुतअल्लिक एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं:

आजकल के राफ़िज़ी, तबर्रई (जो सहाबा से बेज़ारी का इज़हार करते हैं) अलल-उमूम (आम तौर पर) काफ़िर मुर्तद हैं। शायद उनमें गिनती के ऐसे निकलें जो इस्लाम से कुछ हिस्सा रखते हों। उनका आम अक़ीदा यह है कि यह क़ुरआन शरीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु त'आला अलैहि व सल्लम के बाद पूरा न रहा, इसमें से कुछ पारे, या सूरतें, या आयतें, सहाबा-ए-किराम (रज़िअल्लाहु अन्हुम) या और अहल-ए-सुन्नत ने म'आज़ल्लाह कम कर दीं।

और यह भी उनके छोटे-बड़े सब मानते हैं कि हज़रत मौला अली (कर्रमल्लाहु त'आला वज्हहू) और दीगर आइम्मा अत्हार (पाक इमाम) अगले अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम से अफ़ज़ल थे।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरैलवी के मुताबिक:

यह दोनों अक़ाएद खालिस कुफ़्र (खुला कुफ़्र) हैं। जो शख़्स क़ुरआन मजीद से एक हर्फ (अक्षर), एक नुक़्ता (बिंदु) की निसबत अदना (मामूली) एहतमाल (संभावना) के तौर पर कहे कि शायद किसी ने घटा दिया, या बढ़ा दिया, या बदल दिया, वह काफ़िर है और क़ुरआन-ए-अज़ीम का मुन्किर (इनकार करने वाला)।

यूहीं जो किसी नबी से ग़ैर-नबी को अफ़ज़ल माने, यह भी काफ़िर है।

(हवाला : फतावा रज़्वीया, जिल्द 8, सफ़्हा 329)(फैजाने आला हज़रत, पेज 485)

फ़ेहरिस्त मज़ामीन

अर्ज़-ए-मुतर्जिम 5

मुक़द्दिमा 12

रवाफ़िज़ के गिरोह 16

1. फ़िर्क़ा सब'अईया 16

2. फ़िर्क़ा कामिलिया 17

3. फ़िर्क़ा बयानियां 17

4. फ़िर्क़ा मुग़ीरा 17

5. फ़िर्क़ा जिनाहिया 17

6. फ़िर्क़ा मंसूरिया 18

7. फ़िरक़ा खत्ताबिया 18

8. फ़िर्क़ा ग़राबिया 19

9. फ़िर्क़ा ज़िम्मिया 19

10. ता'इफ़ा यूनुसिया 20

11. फ़िर्क़ा मुफ़व्विज़ा 20

12. फ़िर्क़ा इस्माईलिया 20

13. ता'इफ़ा ज़ैदिया 22

14. फ़िर्क़ा इमामिया 22

रवाफ़िज़ के अकाईदे बातिला 24

रवाफ़िज़ के मक़ासिद-ए-बातिला 26

ऐतिराज़ात के जवाबात 28

शान-ए-खुल्फ़ा-ए-सलासा का इंकार 29
मरवान की जलावतनी का मसला और उसकी मुद्दत 40
खुलफ़ा-ए-सलासा की फ़ज़ीलत पर शिया का एतराज़ 41
तहरीफ़-ए-क़ुरआन के इल्ज़ाम का रद्द 41
मनगढ़ंत हदीस और एतराज़ का जवाब 44
ख़बर-ए-वाहिद और खुलफ़ा-ए-सलासा की फ़ज़ीलत पर बहस 45
सहाबा की मदह वाली अहादीस और उनकी आक़िबत की दुरुस्ती 46
रवाफ़िज़ और सब-ए-सहाबा इकराम 48
तकलीफ़ -ए-फ़ातिमा क पुरा मसला 53
नाराज़गी क्यों हुई? 54
मक़ाम-ए-सिद्दीक़-ए-अकबर 56
हज़रत अली की बै'अत और खुल्फ़ा-ए-सलासा 59
ख़िलाफ़त अबू बक्र पर इज्मा-ए-उम्मत 64
रवाफ़िज़ के खिलाफ लड़ाई और उनके माल लेने का फ़तवा 67
रवाफ़िज़ का एतराज़ 67
जवाब (शैख़ेन को गाली देना कुफ्र है) 67
हज़रत आइशा पर रवाफ़िज़ का ऐतिराज़ का जवाब 72
सहाबा-ए-किराम के आपसी इख़्तिलाफ़ 77
इस्लाही दुआ 78
मनाक़िब (तारीफ़)-ए-अहले बैत 79

नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

मुक़द्दिमा

दुनिया में हक़ ओ बातिल की लड़ाई (मुकाबला) शुरू से होती रही है।

बातिल जब भी धोखा, झूठे इल्ज़ाम, बग़ावत और नफ़सानी शरारत की ताक़त के साथ हक़ के सामने मुद-ए-मुक़ाबिल (आमने-सामने) हुआ तो हमेशा नाकाम ओ नामुराद हुआ। और हक़ सदाक़त ओ हक़्क़ानियत के साथ रोज़-ए-रोशन की तरह अयां हो कर हक़ परस्तों की रहनुमाई करता रहा है।

माज़ी (गुज़रे जमाने में) में रवाफ़िज़ हक़ परस्त मुसलमान अहले सुन्नत वल जमाअत के ख़िलाफ़ ज़ुल्म ओ सितम ओ तशद्दूद का बाज़ार गर्म करते रहे हैं। यही वजह है मशहूर उलमा-ए-उम्मत ने इल्मी ओ तारीखी वाक्यात की रोशनी में इन्हें “मुस्कुराते हुए जवाब देकर, उन्होंने सामने वाले को चुप और हक्का-बक्का कर दिया।”

ज़ेर-ए-नज़र किताब **"रद्द-ए-रवाफ़िज़"** भी इसी सिलसिले की एक अहम इल्मी इस्लाही तारीखी ओ तहक़ीक़ी दस्तावेज़ है। जिसे दुनिया-ए-इस्लाम के मश'हूर ओ मा'रूफ़ बुज़ुर्ग **हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी नूरुल्लाह मर्कदहू** ने ता'लीफ़ फ़रमाया। किताब हाज़ा सदियों से नयाब थी अव्वल लखनऊ नवल किशोर में शाया हुई उसके बाद पाकिस्तान में उर्दू तर्जुमे के साथ शाया हो चुकि है। अब **मक्तबा मदनीया** हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली पीएचडी लंदन सिंध यूनिवर्सिटी के शुक्रिया के साथ शाया कर रहा है। उम्मीद है के मुसलमान यानी **मस्लके आला हज़रत** के अवाम ओ ख़वास **मस्लके अहले सुन्नत वल जमाअत** की इस अहम दस्तावेज़, अज़ीम शाहकार, नादिर यादगार इल्मी, तारीखी ओ तहक़ीक़ी मुरक़्क़ा को अपने अपने हल्क़ा में इशाअत फरमा कर दीन-ए-हक़ की तबलीग़ का अहम फ़रीज़ा अंजाम देंगे।

उर्दू : **अहक़र मुहम्मद उस्मान अलवरी**

ख़ादिम : अहले सुन्नत वल जमाअत

असल रिसाले की शुरूआत यहां से

बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा व अल-सलातु व अल-सलामु अला सय्यिदीना मुहम्मद अकरमिल बशर अल-मब'ऊथी इलल अस्वदी वल अह्मर कमा युनासिबु लि'उलू शानिही व यजरी व अलल खुल्फ़ा-इर राशिदीन अल-महदिय्यीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिहित तय्यिबीन अल-ताहिरिन व सा'इरिल सहाबति अल-मुर्दिय्यीन कमा यलीक़ु बि मरातिबिहिम अल-अज़ीमा व दरजातिहिम अल-उल्या

अल्लाह ही के लिए है बे-हद ता'रीफ़ पाक बरकत वाली बरकत असर और उसकी मंशा ओ मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ और दुरूद ओ सलाम हमारे सरदार मुहम्मद ﷺ जो बुज़ुर्ग तरीन इंसान हैं और तमाम इंसानों की तरफ़ बिला तमीज़ रंग ओ रूप भेजे गए हैं। और दुरूद ऐसा जो आप की शान-ए-वाला के मुनासिब और मौज़ूं हो इसी तरह हज़रात खुल्फ़ाए राशिदीन महदीईन पर और आपकी पाक औलाद और बाक़ी सहाबा किराम पर उनके बुलंद बुलंद मरातिब ओ दरजात के मुताबिक़।

बाद हम्द ओ सलात के, ख़ुदा की रहमत का मोहताज ओ उम्मीद्वार उलमा-ए-अहले सुन्नत ओ जमाअत का ख़ादिम अहमद बिन अब्दुल अहद अल-उमरी अल-फ़ारूक़ी ब-रुय-ए निस्बत कहता है के "इसी समय मुझे एक रिसाला मिला, जिसे शियाओं ने उस वक्त **'मुहासरा मशहद उलमा-ए-मावरा-उन-नहर'** के नाम से लिखा था। और यह दरअसल शियाओं के तरफ से उस रिसाले का जवाब था, जिसे उलमा-ए-मौसूफ़ींन (यानी उलमा-ए-मावरा-उन-नहर) ने इससे पहले (शियाओं के रद्द में) लिखा था।" जिसमें उन्होंने शिया को काफ़िर ठहरा कर उनके क़त्ल और उनके माल की लूट को मुसलमानों के लिए जाइज़ क़रार दिया था।

इस रिसाला (मुहासरा मशहद उलमा-ए-मावरा-उन-नहर) में शिया ने महज़ बेवक़ूफ़ों को चक्कर देने के लिए चंद लाचार मुक़द्दमात मुक़र्रर किए हैं। फिर पूरे रिसाला की खुलासा यह है के हज़रात खुल्फ़ाए सलासा (**अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न अल-खत्ताब, और उस्मान इब्न अफ़्फान (रदिअल्लाहु अन्हुमा)** को काफ़िर ठहराया है और हज़रत आयशा रज़िअल्लाहु त'आला

अन्हा पर ज़बान-ए-ज़म ओ तशई'अ खोली है (यानी तोहमत लगाकर उसे अपने अंदाज से आम किया)|

कुछ शिया उलमा ने इन मामूल के मुक़द्दमात (बे बुनियादी बातों) पर फ़ख़्र करते और अमीरों और बादशाहों की महफिलों में अपनी गलत बातें बताते थे|

हालाँकि फकीर (मुजद्दिद अल्फ सानी) आम लोगों की मज़ालिस और मुख़्तलिफ़ बहसों में अक़्ली और दीनी दलील के साथ बात करता रहा, और सब को इन ग़लत फ़हमियों की वज़हत और साफ़ साफ़ गलतियों से आगाह करता रहा|

“लेकिन जब इस्लाम की हिफ़ाज़त के नाम पर संशय (शक) और इल्ज़ाम (आरोप) की कोशिशें की जाती थीं, तो वह इतनी कमज़ोर और नाकाम साबित होती थीं कि बेचैन दिलों को उनसे कोई राहत या सुकून हासिल नहीं होता था|”

फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस भी पेश-ए-नज़र थी के आपने फ़रमाया:

"जब फ़ितनों और बिद'अतों का दुनिया में ज़हूर हो और मेरे असहाब पर सब ओ शतम होने लगे तो हर आलिम को चाहिए के वोह इस दीनी मामलों में फैले रहे फ़ितनों और ग़लतफहमियों को रोकने के लिए अपने इल्म के हथियार काम में लाए और जिसने ऐसा नहीं किया उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और तमाम इंसानों की ल'अनत होगी और उसकी तौबा, उसका फ़िदिया और उसके फ़राइज़ ओ नवांफ़िल दर्जा क़ुबूलियत को नहीं पहुँचेंगे|"

यह सारी बातें ख़याल में आते ही मेरे दिल ने यह फ़ैसला किया के जब तक शियों के अग़राज़ (इरादे) और मक़ासिद को तहरीर ओ किताबत (PDF) में ज़ाहिर न किया जाए तबतक पूरे पूरे फ़ायदे और आम नफ़ा' की सूरत हासिल नहीं हो सकती|

चुनांचे में ने तहरीर का सिलसिला छेड़ा और इस अहम काम में अल्लाह ही से मदद का तालीब हुआ क्यूँकि वो बे-परवाह ज़ात है, अपने बंदों

का ख़ैर ख़्वाह दोस्त है, उनको ज़िल्लत ओ रुसवाई से बचाता है, इनायत ओ तौफ़िक़ भी उसी के हाथ है, और तहक़ीक़ हर अम्र की उसी के पास है, उसी के हुक़्म से सब कुछ होता है|

रवाफ़िज़ के गिरोह

अल्लाह आपको हिदायत दे यूँ समझिए के शिया हज़रत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम के बाद इमाम-ए-हक़ हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को जानते हैं और इस अक़ीदे के मानने वाले हैं के इमामत उनमें और उनकी औलाद में से बाहर नहीं जाती। और अगर जाती है तो महज़ ज़ुल्म ओ ता'अद्दि से जब ग़ैर लोग इस ज़ुल्म से अपने हाथ रंगते हैं या इस सूरत से के हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु या आपकी औलाद तक़ीअ से काम ले।

शियों के चंद दर चंद अक़साम ओ असनाफ़ को अगर समेटा जाए तो उनके फ़िरक़ों की तादाद बाइस के क़रीब ठहरती है, यह एक दूसरे पर कुफ़्र का इल्ज़ाम लगाते हैं। और उनके बद नतीजे और बद किरदारियों को उजागर करते हैं। सच यह है अल्लाह त'आला ने उनमें ख़ुद जंग ओ क़िताल की वबा फैला कर मुसलमानों को उनके साथ लड़ाई झगड़ा से दूर रखा।

अब हम असल मक़सूद से पहले उनके चंद फ़िरक़ों का बयान तहरीर में ला कर उनके असल मक़ासिद से आगाह करते हैं। ताके यह मक़ासिद ज़हन नशीन हो जाए और हक़ बातिल से बिल्कुल मुम्ताज़ (अलग) हो कर सामने आ जाए।

1. फ़िर्क़ा सब'अईया

इन शियों का सरग़ना और गुरु अब्दुल्लाह बिन सबा था। जिसको हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने मदाइन की तरफ़ निकाल दिया था, चुनांचे यह अक़ाइद उसी के दिमाग़ की ईजाद हैं कि इब्न-ए-मुलजिम ने हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को क़त्ल नहीं किया बल्कि शैतान को क़त्ल किया जो आपकी शक्ल और रूप में नमूदार हुआ था। “बादल में आप छुपे हुए हैं, गरज आपकी आवाज़ है और बिजली आपका कोड़ा। और इसी अब्दुल्लाह के मानने वाले जब गरज की आवाज़ सुनते हैं तो कहते हैं: "अलैकस्सलाम या अली रदियल्लाहु अन्हु-उल-मोमिनीन" (“आप पर सलाम हो, हे मुमिनों के अली रदियल्लाहु अन्हु”) ।

2. फ़िर्क़ा कामिलिया

इस फ़िर्के के अफ़राद यानी असहाब अबू कामिल हज़रत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम के असहाब को काफ़िर कहते हैं। और हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को भी काफ़िर ठहराते हैं, असहाब को इसलिए कि उन्होंने हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से बै'अत नहीं की और ख़ुद हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को इस वजह से कि उन्होंने हक़ तलबी नहीं की। यह तनासुख और आवागून के क़ाइल हैं (यानी ये लोग हक़ को छोड़ कर बदलाव और उलटफेर के मानने वाले हैं।)।

3. फ़िर्क़ा बयानियां

इस फ़िर्के के लोग, असहाब बयान बिन सम'अन,

कहते हैं कि ख़ुदा इंसानी शक्ल रखता है, वह तमाम हलाक हो जाएगा मगर उसकी ज़ात। ख़ुदा की रूह ने हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु में हलूल किया। उनके बाद उनके साहिबज़ादे मुहम्मद बिन हनफ़िया में, उनके बाद उनके साहिबज़ादे हाशिम।

4. फ़िर्क़ा मुग़ीरा

इनके बाद फ़िर्क़ा मुग़ीरा के लोग जो असहाब मुग़ीरा बिन सईद अजली हैं कहते हैं कि ख़ुदा एक नूरानी आदमी की शक्ल रखता है उसके सर पर नूर का ताज है दिल उसका हिकमत का सरचश्मा है।

5. फ़िर्क़ा जिनाहिया

यह फ़िर्क़ा जिनाहिया के लोग असहाब अब्दुल्लाह बिन मु'आविया बिन अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ज़ुविल जनाहैन हैं भी तनासुख (उलटफेर) के क़ाइल हैं। और उनका कहना है कि ख़ुदा की रूह ने पहले हज़रत आदम में हलूल किया फिर हज़रत शीथ में फिर इसी तरह हज़रात अंबिया ओ आइम्मा के क़ालिबों में सरअत करती चली आई यहाँ तक कि आख़िर में उसने हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु और आपकी औलाद में हलूल किया। इसके बाद अब्दुल्लाह के क़ालिब में रूह-ए- ख़ुदा ने जगह ली। यह क़यामत को नहीं

मानते और ममनू'आत-ए-शरीअत मसलन शराब, मुरदार, ज़िना वग़ैरा को हलाल जानते हैं।

6. फ़िर्क़ा मंसूरिया

इस फ़िर्के के लोग अबू मंसूर अजली के पैरो हैं।

यह हज़रत इमाम बाक़िर की ख़िदमत में था जब हज़रत इमाम ने उससे बेज़ारी ज़ाहिर की और उसको अपने पास से निकाल बाहर किया तो यह ख़ुद मुद्द'ई इमामत बन बैठा। इस फ़िर्क़ा के लोग कहते हैं कि अबू मंसूर आसमान पर गया और हक़ सुब्हानहु ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि "ऐ बेटे जा और हमारा पैग़ाम पहुँचा।" इसके बाद वह ज़मीन पर उतरा चुनांचे इसी को इस आयत में "कस्फ़" से ता'बीर किया गया है "

अगर देखते हैं एक टुकड़ा आसमान से गिरता हुआ तो कहते हैं बादल है तह ब तह।"

उन का यह भी कहना है कि रिसालत का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और जन्नत इमाम से इबारत है जिस के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखने पर हम मामूर हैं। और दोज़ख से उस शख्स की तरफ इशारा है जिस के साथ दुश्मनी रखने का हम को हुक्म है जैसे अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु। इसी तरह कहते हैं कि फ़रायज़ से वो लोग मुराद हैं जिन के साथ मोहब्बत रखने का हम को अम्र किया गया है।

7. फ़िरक़ा खत्ताबिया

के लोग अबी खत्ताब असदी के असहाब हैं। यह हज़रत इमाम मुहम्मद जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में रहता था। हज़रत इमाम ने जब मालूम किया कि यह उन की ज़ात के बारे में मुबालग़ा से काम लेता है तो आप उस से बेज़ार हो गए। और अपनी सोहबत से उस को बाहर किया तब उस ने खुद अपनी इमामत का नारा लगाया। यह कहते हैं कि तमाम आइमा ख़ुदा तआला के बेटे हैं। और उन की खूबियों का ज़रिया जाफ़र सादिक़ हैं।

लेकिन अबुल ख़त्ताब उनसे और हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से अफ़ज़ल हैं। यह लोग झूठी गवाही को रवा रखते हैं जबकि मुख़ालिफ़ीन के मुक़ाबले में उसकी ज़रूरत पेश आए। इनका यह भी कहना है कि दुनिया की न'अमतों का नाम जन्नत है और उसकी तकलीफ़ों का नाम दोज़ख़। और दुनिया फ़ना का मुँह हरगिज़ नहीं देखेगी। यह मुहर्रमात (हराम) पर अमल और तर्क फ़राइज़ को जाइज़ रखते हैं।

8. फ़िर्क़ा ग़राबिया

इनमें ग़राबिया वाले कहते हैं: कि एक कौवे को कौवे से, मक्खी को मक्खी से जिस क़दर मुशाबहत होती है हुज़ूर अकरम को हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से उससे भी ज़ाइद मुशाबहत थी। हक़ सुब्हानहु ने वही दरअसल हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को भेजी थी मगर हज़रत जिब्राईल इंतेहाई मुशाबहत की वजह से धोखा खा गए। और वही हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ले गए। उनका एक शा'इर कहता है कि हज़रत जिब्राईल ने ग़लती की कि हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को छोड़ कर वही हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहुँचा दी। इस फ़िर्क़े के लोग जिब्राईल पर ल'अनत भेजते हैं।

9. फ़िर्क़ा ज़िम्मिया

इस फ़िर्क़े के लोग हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बुराई करते हैं। और कहते हैं कि अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ख़ुदा हैं उन्होंने मुहम्मद को अपनी तरफ़ दा'वत देने के लिए लोगों के पास भेजा था। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुद अपनी ज़ात की तरफ़ लोगों को दा'वत दी। बा'ज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़ुदा मानते हैं। फिर उनमें भी दो फ़रीक़ हैं बा'ज़ हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को भी ख़ुदा मान कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़ुदाई में अफ़ज़ल जानते हैं और बा'ज़ अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को बर्तर ख़याल करते हैं।

इनमें का एक गिरोह असहाब अबा इसका क़ाइल है कि मुहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन ओ हुसैन रज़िअल्लाहु त'आला अन्हुम यह पाँच बुज़ुर्ग दर हक़ीक़त शख्स वाहिद हैं एक ही रूह सब में यकसाँ हुलूल किए हुए हैं किसी को किसी पर फ़ौक़ियत ओ बर्तरी नहीं। यह लोग इस्मा फ़ातिमा को ता'नीस (Gendar) से अदा नहीं करते ताके उनकी ज़ात ता'नीस (Gendar) के दाग़ से महफ़ूज़ रहे।

10. ता'इफ़ा यूनुसिया

यूनुस बिन अब्दुल रहमान का पैरो है। यह कहते हैं कि ख़ुदा अर्श पर रौनक अफ़रोज़ है गो फ़रिश्ते इस अर्श को उठाए हुए हैं लेकिन वो फ़रिश्तों से क़वी तर है। मिस्ल कुलांग के कि अपने दोनों पाँव पर फिरता है और अपने दोनों पाँव से बड़ा और क़वी तर है।

11. फ़िर्क़ा मुफ़व्विज़ा

इनमें से मुफ़व्विज़ा फ़िर्क़ा के लोग कहते हैं कि ख़ुदा त'आला ने दुनिया पैदा फरमा कर उसको हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सुपुर्द कर दिया और दुनिया की हर चीज़ को आपके लिए जाइज़ और मुबाह क़रार दिया। इनमें से बा'ज़ इसके क़ाइल हैं कि दुनिया हज़रत अली के सुपुर्द की गई।

12. फ़िर्क़ा इस्माईलिया

इस्माईलिया फ़िर्क़ा के लोग क़ुरआन के बातिन को मानते हैं, ज़ाहिर को नहीं। कहते हैं के बातिन की निस्बत ज़ाहिर की तरफ़ ऐसी है जैसे गुदे और मग़ज़ की निस्बत छिलके की तरफ़। और जो ज़ाहिर क़ुरआन को हुज्जत बताता है वो अवामिर की ता'मील और नवाही से इज्तिनाब के अज़ाब ओ मशक़्क़त में अपने को गिरफ़्तार रखता है। बातिन क़ुरआन तर्क-ए-अमल का तक़ाज़ा करता है, यह अपने ख़याल पर इस आयत-ए-करीमा से हुज्जत लाते हैं। फ़रमाया अज़्ज़-ओ-जल ने: "पस, लगाया जावेगा उनके दरमियान कूट जिसके लिए दरवाज़ा है उसके अंदर की तरफ़ रहमत है और बाहर की तरफ़ अज़ाब।"

यह हराम चीज़ों को हलाल जानते हैं इनका क़ौल है हामिल-ए-शरीअत पैग़म्बर सात हैं: आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा ओ मुहम्मद अलैहिमुस सलातु वस्सलामु और हज़रत मुहम्मद महदी को भी रसूल जानते हैं। असल दा'वत इनकी यह है के यह शरीअतों को बातिल करते हैं।

इनके अहकाम में शुभे और शकूक पैदा करते हैं चुनांचे कहते हैं के औरत ब-हालत-ए-हैज़ रोज़ा क्यूँ क़ज़ा करती है और नमाज़ क़ज़ा क्यूँ नहीं करती। मनी से ग़ुस्ल क्यूँ वाजिब होता है और पेशाब से क्यूँ नहीं।

बा'ज़ नमाज़ों में चार, बा'ज़ में तीन और बा'ज़ में दो रकातें फ़र्ज़ क्यूँ हैं। उमूर-ए-शरी'आ में ता'वीलात करते हैं। इमाम की दोस्ती को वज़ू, और रसूल की ज़ात को नमाज़ जानते हैं। और दलील इस आयत से लाते हैं:

"बेशक नमाज़ बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है" (सूरह अल-अंकबूत, आयत 45) कहते हैं के ना-अहलों को वाक़िफ़ असरार करना एहतिलाम है और ताज़ा व'अदा करना ग़ुस्ल है। दीन की मा'रिफ़त से नफ़्स को पाक करना ज़कात है, नबी का'अबा हैं और दरवाज़ा अली, मुहम्मद सफ़ा हैं और अली मरवा।

सातों आइम्मा के साथ मुवालात सात तवाफ़ हैं। जन्नत बदन के आराम और तकलीफ़ से छुटकारे का नाम है और दोज़ख़ बदन की मशक़्क़त और हमेशा तकलीफ़ से इबारत है।

ग़र्ज़ इसी क़िस्म की और भी ख़ुराफ़ात के क़ाइल हैं। यह भी कहते हैं के ख़ुदा न मौजूद है न मा'दूम, न आलिम है न जाहिल, न क़ादिर है न आ'जिज़। जब हसन बिन मुहम्मद सब्बाह ज़ाहिर हुआ तो उसने दा'वत को ज़िंदा किया और ख़ुद को इमाम का ना'इब ठहराया।

क्यूँकि इनका गुमान है के कोई ज़माना इमाम से ख़ाली नहीं। यह अवाम को, ख़वास के उलूम से बाज़ रखते हैं और ख़वास को कुतुब-ए-मुक़द्दमीन में ग़ौर-ओ-ख़ौस से। ताके इनके फ़ज़ाइह और क़बाइह पर इनको इत्तिला' न हो। यह फलसफ़ा की रोशनी में चलते हैं और शरीअतों पर मज़ाक उड़ाते हैं।

13. ता'इफ़ा ज़ैदिया

जो ज़ैद बिन अली बिन ज़ैनुल आबेदीन की तरफ़ मनसूब है, तीन गिरोहों में बंटा हुआ है।

एक गिरोह का नाम जा'रूदिया है, यह नस-ए-ख़फ़ी से हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु की इमामत के क़ाइल हैं। सहाबा को काफ़िर ठहराते हैं क्यूँकि उन्होंने बा'द पैग़म्बर अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से बै'अत नहीं की।

दूसरा फ़िर्क़ा सुलयमानिया कहलाता है, यह इमामत का दार-ओ-मदार शूरा पर रखते हैं। अबू बकर ओ उमर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अज्म'ईन को इमाम जानते हैं अलबत्ता लोगों को ख़ताकार ख़याल करते हैं के उन्होंने अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की मौजूदगी में इन दो बुज़ुर्गों से बै'अत की लेकिन इस ख़ता को फ़िस्क की हद तक नहीं पहुँचाते।

उस्मान रदिअल्लाहु त'आला अन्हु, तलहा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु, ज़ुबैर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु और आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा को काफ़िर कहते हैं।

तीसरा फ़िर्क़ा तब्रिया के नाम से मश'हूर है, यह फ़िर्क़ा सुलयमानिया के साथ मुत्तफ़िक़ उल अक़ीदा हैं अलबत्ता उस्मान रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की इमामत मानने में ता'म्मुल (सोचा-विचारी) करते हैं।

आज कल अक्सर ज़ैदिया उसूल में मु'तज़िला के पैरो हैं और फ़ुरू'अ में इमाम अबू हनीफ़ा के मुत्तबे' अलबत्ता चंद मसा'इल में मुख़्तलिफ़ उल ख़याल हैं।

14. फ़िर्क़ा इमामिया

इनमें से इमामिया फ़िर्क़ा के लोग नस-ए-जली (साफ़ तौर पर) से हज़रत अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की ख़िलाफ़त को मानते हैं। सहाबा इकराम को काफ़िर कहते हैं। इमामत का सिलसिला इमाम जा'फ़र तक चलाते हैं। इनके बाद इमाम मनसूस में इख़्तिलाफ़ करते हैं। इनमें अक्सर इस

सिलसिला-ए-इमामत के क़ाइल हैं के इमाम जा'फ़र के बाद आपके साहिबज़ादा इमाम अबू मूसा काज़िम, उनके बाद इमाम अली बिन मूसा रज़ा, उनके बाद मुहम्मद बिन अली नक़ी, उनके बाद हसन बिन अली ज़की, उनके बाद मुहम्मद बिन हसन और यही इमाम मुंतज़िर कहते हैं।

फिर एक ज़माना गुज़रने पर इनके दो फ़रीक़ हो गए बा'ज़ ने मु'तज़िला की तरफ़ रुजू' कर लिया और बा'ज़ फ़िर्क़ा मुश्ताबा में जा मिले।

यह हैं इन शिया के गुमराह कुन फ़िर्क़े।

इनके बाकी और फ़िर्क़ों का ज़िक्र इसलिए नहीं किया गया के वो उसूल ओ अक़ाइद में मज़्कूरा फ़िर्क़ों के साथ मुवाफ़िक़त रखते हैं (मिलता जुलता है जैसे वहाबी फिर्के में देवबंदी, अहले हदीस, जमाते इस्लामी वगैरह) मगर चंद मसा'इल में इनको इख़्तिलाफ़ भी है।

फिरको की तफसीली मालूमात कें लिए इस किताब को पढ़े

गुनियतुत्तालिबीन, बाब 9

Doanload Now

रवाफ़िज़ के अकाईदे बातिला

(यहूदियों से मुशाबेह)

राफजियों के अकवाल यहूदियों से मुशाबेहत रखते हैं। शअबी कहते हैं कि राफज़ियों की मोहब्बत यहूदियों की मोहब्बत है यहूदी इस बात के काएल (मानने वाले) है कि इमामत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा किसी दूसरे के लिए दुरुस्त नहीं इसी तरह राफज़ी कहते हैं कि इमामत हज़रत अली की औलाद के अलावा किसी और की सहीह नहीं है।

यहूदी इस बात के काएल हैं कि जब मसीह दज्जाल खुरूज करेगा और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर रस्सी पकड़ कर उतरेंगें उस वक़्त जिहाद होगा इससे पहले जिहाद नहीं हो सकता। राफ्ज़ी भी कहते हैं कि जब तक मेहदी बर आमद नहीं होंगे और एक मुनादी आसमान की तरफ से निदा न करेगा उस वक्त तक जिहाद नहीं हो सकता।

यहूदी मग़रिब की नमाज इतनी ताखीर से पढ़ते है कि आसमान पर सितारा का इज्तेमा एक जाल की शक्ल में नज़र आने लगे (काफी सियाही न फैल जाए) राफजी भी मगरिब की नमाज में इसी कदर ताखीर करते हैं।

यहूदी किबला की तरफ से कुछ फिरे हुए नमाज में होते हैं राफजी भी ऐसा ही करते हैं।

यहूदी की नमाज़ सुबह के खूब रौशन हो जाने के बाद अदा करते हैं राफ्ज़ी भी ऐसा ही करते

यहूदी नमाज़ में कपड़े लटकाए रहते हैं राफजियों की भी यही हालत है।

यहूदी हर मुसलमान के खून को हलाल समझते है राफ्ज़ी भी यही ख्याल करते हैं।

यहूदी औरतों की इद्दत के काएल नहीं हैं राफजी भी इसके काएल नहीं है

यहूदी तीन तलाक को वे मानी समझते हैं राज़ियों का भी यही हाल है यहूदियों ने तौरात में तहरीफ की है राफजियों ने कुरआन में तहरीफ की।

राफ़्ज़ी कहते हैं कुरआन पाक में तगय्युर व तबद्दुल कर दिया गया है तरकीब व तरतीब में उलट फेर कर दिया गया है नुज़ूल की तरतीब बाकी नहीं है और कुरआन में कमी व बेशी कर दी गई है कुरआन की किरअत ऐसे तरीकों से की गई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है।

यहूदी जिब्रील अलैहिस्सलाम से बुग्ज़ रखते हैं और कहते हैं वह हमारे दुशमन हैं राफज़ियों का एक गरोह भी इस का काएल है कि जिब्रील ने वही पहुंचाने में गलती की। अली के बजाए मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) को वही पहुंचा दी अल्लाह ने उनको वही दे कर अली के पास भेजा था। अल्लाह करे यह हमेशा तबाह और गारत रहें। *(गुनियतुत्तालिबीन, बाब 9, पेज 230)*

रवाफ़िज़ के मक़ासिद-ए-बातिला

यह एक खुली हक़ीक़त है के इन शिया के मक़ासिद कुछ ऐसे मौहूम बैन-उल-फ़साद (ऐसा फसाद जो सिर्फ़ बे बुनियाद), और ज़ाहिर-उल-बुतलान (साफ़ झूठ) हैं के जो शख्स भी ज़रा अक़्ल ओ तमीज़ रखता है और इनके मतालिब की हक़ीक़त से वाक़िफ़ होता है, बगैर दलील मा'लूम किए और इनके लग़्व और लाचार होने का हुक्म लगाता है। यह इनकी जहालत ही का तक़ाज़ा है के ख़ुद को अहले बैत और 12 आइम्मा **(अली बिन अबी तालिब, हसन बिन अली,हुसैन बिन अली , अली जफर सादिक , मोहम्मद बक़िर , जाफ़र तकी, मुहम्मद रज़ा, अली नकी, मोहम्मद तकी, अली हदी, हसन रज़ी, मुहम्मद महदी)** से मनसूब करते हैं। और उनके साथ वफ़ादारी का दम भरते हैं।

ख़ुदा की पनाह यह बुज़ुर्ग तो ख़ुद उनकी **मुबालिग़ा आमेज़ मोहब्बत** (*ऐसी मोहब्बत जिसमें हद से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर इज़हार किया जाए या हद से आगे निकल जाया जाए*) से बेज़ार हैं और उनकी मुताबी'अत पर राज़ी नहीं बल्कि इन बद-अंदेशों की मोहब्बत नसारा की मोहब्बत से मिलती जुलती है जो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रखा करते थे| आख़िर अपनी इंतेहाई गुमराही के बा'इस उनको ख़ुदा के साथ पूजने लगे हलानके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मोहब्बत से बेज़ार थे। चुनांचे हज़रत अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की रिवायत कर्दा हदीस शरीफ़ इस बात की ता'ईद करती है के फ़रमाते हैं

हज़रत अली कर्रम अल्लाहु वज्हहु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलम ने मुझ से फ़रमाया: **"तुम्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक मुशाबिहत है। ईसा अलैहिस्सलाम से यहूद ने बुग़्ज़ किया यहाँ तक कि उनकी वालिदा-ए-माजिदा पर ज़िना की तोहमत लगाई, और नसारा उनकी महब्बत में ऐसे हद्द से गुज़रे कि उनकी ख़ुदाई के मुतअक़िद हो गए (यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया।"**

सरकार-ए-मौला-ए-काइनात फरमाते हैं: "होशियार! मेरे हक़ में भी दो गिरोह हलाक होंगे।

फिर फ़रमाया के मेरे (अली रदिअल्लाहु अन्हु के) मामले में दो क़िस्म के लोग हलाक होंगे: एक महब्बत करने वाला और हद से बढ़ाने वाला (यानी

शिआ और मौलायी फिरका जो अबू बक्र, उमर, उसमान और अमीरे मुआविया को बुरा कहते है), वह महब्बत उसे ग़ैरे हक़ की तरफ ले जाएगी।

दूसरा बुग़्ज़ रखने वाला हद से कम करने वाला, (यानी ख़ारजी जो हज़रत अली से बुग्ज रखते है) वह बुग़्ज़ उसे खिलाफ़-ए-हक़ की तरफ ले जाएगा। और सब से बेहतर हाल मेरे मामले में दरमियानी जमात का है (यानी जो सहाबा को बुरा भी न कहे और हज़रत अली का मुहिब हो)। तो इस दरमियानी हालत को अपने लिए ज़रूरी समझो और सवाद-ए-आज़म (बड़ी जमात, अहल-ए-सुन्नत, मस्लके आला हज़रत) के साथ वाबस्ता रहो, क्योंकि अल्लाह का साथ इसी जमात पर है। और ख़बरदार! इस जमात से अलग न होना, क्योंकि जो इंसान जमात से अलग हो गया, वह उसी तरह शैतान का शिकार हो जाएगा, जिस तरह रेवड़ से अलग होने वाली बकरी भेड़िये का शिकार हो जाती है।"(नहजुल बलाग़ा)

अल्लाह त'आला का फ़रमान

“**जब बेज़ार होंगे पेशवा** (यानी 12 आइमा) **अपने पैरोकरो** (यानी शिआवों) **से और देखेंगे अज़ाब और कट जाएंगी उनकी सब डोरें** (झुटी निस्बते) , **और पैरो** (यानी शिआ मुहब्ब्त के झुटे दावेदार) **कहेंगे काश हमें लौट कर जाना होता (दुनिया में) तो हम उनसे तोड़ देते** (यानी मुहब्बत का झुटा दावा नहीं करते) **जैसे उन्होंने** (यानी 12 आइमा) **हमसे तोड़ दी** (निस्बते), **यूंही अल्लाह उन्हें** (शिआवों को) **दिखाएगा उनके काम उनपर हसरतें होकर और वो दोज़ख से निकलने वाले नहीं”** (कंजुल ईमान , सूरह अल- बक़रा, आयत 166- 167)

ऐतिराज़ात के जवाबात

अब हम इनके वही तबाही ऐतिराज़ात के जवाबात का सिलसिला छेड़ते हैं। और ख़ुदा ए बर्तर पर भरोसा करते हैं जो सबसे बड़ा बादशाह है जो चाहता है कर गुज़रता है और अपने बंदों की दु'आ को क़ुबूल फरमाता है।

इस रिसाला की तरतीब की 3 Steps

1 **उलमा-ए-मावरा-उन-नहर का फ़तवा** - मध्य एशिया (बुख़ारा, समरकंद आदि) के राफ़जियों के खिलाफ हनफ़ी उलमा के फतवे, जो लगभग 1000 साल पहले के दौर से मशहूर हैं।

2. **राफ़जी का एतराज** - राफ़जियों ने इस फ़तवे के खिलाफ एक किताब लिखा

3. **मुजद्दीद अल्फ सानी ने राफ़जियों के इस किताब का रद्द करते हुए जवाबा दिया**

1. शान-ए-खुल्फ़ा-ए-सलासा का इंकार

खुल्फ़ा-ए-सलासा" का मतलब है तीन ख़लीफ़ा : अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फान रज़िअल्लाहु तआला अन्हुमा

फ़तवा उलमा-ए-म'अवारा-उन-नहर

हज़रात उलमा-ए-म'अवारा-उन-नहर ने फ़रमाया (अल्लाह त'आला उनकी मसा'ई-ए-जमीला को क़ुबूल फरमाए) के जनाब पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने हज़रात खुल्फ़ा-ए-सलासा की बड़ी ता'ज़िम ओ तौक़ीर ज़ाहिर फरमाई और हर सेह बुज़ुर्गों की मदह ओ तारीफ़ में बहुत सी हदीसें मनक़ूल हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अक़्वाल ओ अफ़'आल सरासर वहीये इलाही हैं इस आयत-ए-करीमा के तहत

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

तर्जुमा : "और वह (नबी) कोई बात अपनी ख़्वाहिश से नहीं करते, वह तो नहीं मगर वहीये इलाही जो उन्हें की जाती है" (सूरह नज्म , आयत 34)

(यानी नबी ने क़ुरआन की कोई जो बातें बताई वो अल्लाह की ही बाते है और इसी को सहाबा ने उम्मत को बताया गोया की सहाबा ने भी अल्लाह ही की बातें बताई)

जो सरासर वहीये इलाही है और शिया जब इन बुज़ुर्गों (सहाबा) की मज़म्मत (बुराईयां) करते हैं तो गोया वहीये इलाही की मुख़ालफ़त करते हैं और वहीये इलाही की मुख़ालफ़त करना खुला कुफ्र है (यानी राफ़जी/शिआ काफ़िर है)।(फ़तवा उलमा-ए-म'अवारा-उन-नहर)

रवाफ़िज़ का एतराज़ : शिया इस (फ़तवा उलमा-ए-म'अवारा-उन-नहर) के जवाब में ब-तौर मु'आरिज़ा (विरोध के तौर पर) कहते हैं के दलील से खुल्फ़ा की शान में क़दह (इल्ज़ाम) और उनकी ख़िलाफ़त का बुतलान (झूठ) लाज़िम आता है क्योंकि अपने मौक़िफ़ की शरह में अकाबिर अहले सुन्नत में से 1 आमदी का यह क़ौल नक़्ल किया है के पैग़म्बर अलैहिस्सलाम की वफ़ात

के वक़्त अहले इस्लाम में आरा'अ (अलग-अलग लोगों की राय) का इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया।

पहला इख़्तिलाफ़ यह था के पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने मर्ज़-ए-मौत में इरशाद फ़रमाया मेरे पास काग़ज़ लाओ के मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूँ ताके तुम मेरे बाद न बहको। हज़रत उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु इस बात पर राज़ी नहीं हुए और अपना अलग राय दिया के आप पर मर्ज़ का ग़ल्बा है और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमको काफ़ी है, गर्ज़ सहाबा ने इस बारे में इख़्तिलाफ़ किया और एक शोर ओ ग़ुल की आवाज़ पैदा हो गई इस कैफ़ियत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आज़ुर्दा ख़ातिर हुए (दिल दुखा और) फ़रमाया उठो मेरे सामने झगड़ा मुनासिब नहीं।

दूसरा इख़्तिलाफ़ यह था के वाक़िया म'अलूमह के बाद पैग़म्बर ने एक जमा'अत को नामज़द फ़रमाया के उसामा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के हमराह सफ़र पर रवाना हों इस जमा'अत में से बा'ज़ ने ता'मील में सुस्ती बरती। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उसकी ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बड़ा इसरार से फ़रमाया उसामा के लश्कर को तैयार करो जो इससे जान चुराए उस पर अल्लाह की ल'अनत हो। इस ता'कीद के ब-वजूद बा'ज़ ने ता'मील के लिए क़दम नहीं उठाया और आपकी बात न मानी।

लिहाज़ा हम (शिआ) कहते हैं के जिस अम्र के लिख लेने की हुज़ूर ने वसीयत फरमाई वो आयत-ए-मज़्कूरा के ब-मूजिब वहीये इलाही है और हज़रत उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने जब इस अम्र को रोका तो वो रद-ए-वही हुआ और रद-ए-वही कुफ़्र है इसका तुमको भी ए'तिराफ़ है (किसी बात को मान लेना)। फिर अल्लाह का यह कलाम इस पर दलील है के जिन्हों ने अल्लाह के उतारे हुए फ़रमान के मुताबिक़ फ़ैसला नहीं किया वो काफ़िर हैं और काफ़िर पैग़म्बर की ख़िलाफ़त की अहलियत नहीं रखता।

और नीज़ जैश-ए-उसामा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु में शरीक होने से जान चुराना ब-मूजिब दलील कुफ़्र है और ब-इत्तिफ़ाक़-ए-रा'य हज़रात खुल्फ़ा-ए-सलासा ही शिरकत से बचे और किनारा कशी रहे।

इसके बा'द जब उलमा हज़रात ए'तिराफ़ कर चुके हैं के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़े'ल वहीये इलाही है और हक़ीक़त में भी ऐसा ही है तो हम कहते हैं के हुज़ूर का मरवान को मदीना से निकाल देना लाज़मी वहीये इलाही है। फिर हज़रत उस्मान रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का उसको बुला लेना और मु'अमलात उसके सुपुर्द करना और उसकी इज़्ज़त करना दो वजहों से कुफ़्र है। अव्वल इसी दलील की रू से जो अभी हज़रात किराम ने बयान फरमाई दूसरे फ़रमान-ए-इलाही के तहत:

"तुम न पाओगे उन लोगों को जो यक़ीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उनसे जिन्हों ने अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालिफ़त की अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबे वाले हों". *(सूरह: सूरह अल-मुजादिला, आयत: 22)*

यानी यहाँ तक शिआवों का **2 एतेराजात** है यानी उनका कहना है की पहला इख़्तिलाफ़ में उमर फारूक ने जो अपना राय दिया और दूसरा इख़्तिलाफ़ में हज़रात खुल्फ़ा-ए-सलासा ने जो जंग में नहीं गया ये दोनो अमल अल्लाह व रसूल से मुखालफत करना साबित होता है और ये दोनो मुखालिफत गोया वहीये ईलाही की मुखालफत है जो कुफ़्र है यानी उमर फारूक और जंग में न जाने वाले सहाबा काफ़िर है (मआजअल्लाह)।

जवाब : अब हम (मुजद्दिद अल्फ सानी) तौफ़ीक़-ए-इलाही पर भरोसा करते हुए कहते हैं के हम नहीं मानते के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम अक़्वाल ओ अफ़'आल ब-रू-ए-वही (वहीये इलाही पर आधारित) और आयत-ए-करीमा से शहादत पेश करना मुफ़ीद मतलब नहीं क्योंकि वो क़ुरआन के साथ मख़सूस है।

क़ाज़ी बैज़ावी फ़रमाते हैं के अल्लाह का फ़रमान-ए-आली

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

तर्जुमा : "और वह (नबी) कोई बात अपनी ख़्वाहिश से नहीं करते

(सूरह नज्म , आयत 3- 4)

यह आयत इस मतलब की ओर इशारा करती है के **क़ुरआन की कोई बात** अपनी ख़्वाहिश से अदा नहीं फ़रमाते।

अगर यह मान लिया जाए कि हुज़ूर ﷺ के तमाम अक़्वाल और अफ़'आल पूरी तरह वहीये इलाही के तहत थे, तो फिर कुछ अक़्वाल व अफ़'आल पर ए'तिराज़ की गुंजाइश न रहती और न ही अल्लाह तआला की जानिब से किसी क़िस्म की तंबीह या इताब वारिद होता।

जैसा के अल्लाह त'आला ने फ़रमाया :

"ऐ नबी तुम अपने ऊपर क्यों हराम किये लेते हो वह चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल की, अपनी बीबियों की मर्ज़ी चाहते हो?" (सूराह अत-तहरीम, आयत 1)

या फ़रमान-ए-इलाही है:

"अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तुमने उन्हें क्यों इज़्न (इजाजत) दे दिया जब तक न खुले थे तुम पर सच्चे और ज़ाहिर न हुए थे झूटे. (सूरह अत-तौबा: 43)

या इरशाद-ए-बारी त'आला है:

"किसी नबी को लायक़ नहीं कि काफ़िरों को ज़िन्दा क़ैद करे जब तक ज़मीन में उनका ख़ून ख़ूब न बहाए तुम लोग दुनिया का माल चाहते हो और अल्लाह आख़िरत चाहता है।" (अल-अनफाल , आयत 67)

और फ़रमान-ए- ख़ुदा वन्दी है **"और उनमें से किसी की मैयत पर कभी नमाज़ न पढ़ना और न उसकी क़ब्र पर खड़े होना, बेशक अल्लाह व रसूल से मुन्किर हुए और फ़िस्क़ ही में मर गए"** (सूरह अत-तौबा: 84)

एक आयात से मा'लूम होता है कि मुनाफ़िक़ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नमाज़ पढ़ने के बाद यह आयत नाज़िल हुई और दूसरी से पता चलता है कि नमाज़ से पहले मगर इरादा-ए-नमाज़ के बाद इस आयत का नुज़ूल हुआ। बहर हाल फ़े'ल से नहीं (हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम अक़्वाल ओ अफ़'आल वहीये इलाही पर आधारित नहीं हैं) का सुबूत ब-हम पहुँचता है ख़्वाह वो आ'ज़ा-ए-बदनी का फ़े'ल हो या दिल का, इस

क़िस्म की मिसालें क़ुरआन-ए-करीम में बहुत हैं। तो हो सकता है हुज़ूर के बा'ज़ अफ़'आल ओ अक़्वाल रा'य और इज्तेहाद से हों।

क़ाज़ी बैज़ावी आयत "**मा काना**" के ज़ैले में कहते हैं यह आयत इस अम्र की दलील है कि हज़रात अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) कभी-कभी ऐसे मामलों में इज्तेहाद करते हैं जिनमें वाही का साफ़ हुक्म न आया हो। उस इज्तेहाद में ख़ता की इमकान हो सकती है। लेकिन अगर कोई इज्तेहादी ख़ता हो जाए तो अल्लाह तआला फौरन उसकी इस्लाह कर देता है (वही के ज़रिये)। इसलिए नबी उस ख़ता पर क़ायम नहीं रहते।

और सहाबा अक़्ली और इज्तेहादी मसाइल में इख़्तिलाफ़ कर सकते थे। शरीअत के कई मसाइल ऐसे हैं जहाँ इज्तेहाद की गुंजाइश होती है। इसलिए सहाबा के बीच जो फिक़्ही या इज्तेहादी इख़्तिलाफ़ हुआ, वह जायज़ और क़ाबिल-ए-क़बूल है।

बा'ज़ सहाबा की रा'य पर वही नाज़िल होती चुनांचे बद्र के क़ैदियों के बारे में हज़रत उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु की रा'य पर वही आई और यह इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तवज्जोह मुबारक उमूर-ए-अक़्लिया की तरफ़ कम थी।

क़ाज़ी बैज़ावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास यौम-ए-बद्र में 70 क़ैदी लाए गए जिनमें अब्बास रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु और अक़ील बिन अबी तालिब रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु भी थे। आपने उनके बारे में मशवरा फ़रमाया। अबू बकर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु बोले यह आपकी क़ौम है आपके अहल हैं। इनको बाक़ी रखिये शायद अल्लाह त'आला इनकी तौबा क़ुबूल फ़रमाए और इन से फ़िदिया क़ुबूल फ़रमाइये जिससे आपके असहाब क़ुव्वत हासिल करें। हज़रत उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ने कहा कि इनकी गर्दन उड़ाइए क्योंकि यह काफ़िरों के पेशवा हैं और आपको अल्लाह त'आला ने फ़िदिया से बे-नियाज़ किया है।

फ़ुलान मुझको सुपुर्द कीजिए और अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु और हम्ज़ा के हवाले उनके भाई कीजिए ताकि हम उनके सर क़लम करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह रा'य पसंद न आई फ़रमाया अल्लाह

त'आला ने बा'ज़ लोगों को दूध से ज़ियादा नर्म कर देता है और बा'ज़ के दिलों को पत्थर से ज़ियादा सख़्त बना देता है।

और ऐ अबू बकर तुम्हारी मिसाल हज़रत इब्राहीम की सी है जिन्होंने फ़रमाया जिसने मेरी पैरवी की वो मेरी उम्मत है जिसने मेरी नाफ़रमानी की, तो तू या अल्लाह गुनाह बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।

और ऐ उमर तुम्हारी मिसाल नूह की सी है जिन्होंने फ़रमाया ऐ रब्ब किसी काफ़िर को ज़मीन पर बसने वाला न छोड़। पस आपने अपने असहाब को इख़्तियार दिया (ख़्वाह क़त्ल करें ख़्वाह फ़िदिया लें) उन्होंने फ़िदिया लिया।

पस यह आयत उतरी

"...ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض"

तर्जुमा : किसी नबी के लिए यह मुनासिब नहीं कि उसके पास क़ैदी हों, जब तक वह ज़मीन में दुश्मन पर अच्छी तरह ग़लबा हासिल न कर ले।

— (सूरह अल-अनफ़ाल: 67)

इसके बाद उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए तो क्या देखते हैं कि आप और अबू बकर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु रो रहे हैं। उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु बोले या रसूल अल्लाह रोने का राज़ मुझे भी बतलाइए ताके अगर रोना आए तो रो'ऊँ वरना रोनी सूरत तो कम अज़ कम बना'ऊँ। आपने फ़रमाया कि मैं अपने असहाब पर रो रहा हूँ कि उन्होंने फ़िदिया ले लिया और मुझ पर उनका अज़ाब पेश किया गया। जो इस दरख़्त से भी क़रीब तर था।

क़ाज़ी बैज़ावी कहते हैं कि हुज़ूर से यह भी रिवायत है कि आपने

फ़रमाया कि अगर अज़ाब नाज़िल होता तो सिवाए उमर और स'द बिन मु'आज़ के कोई न बचता क्योंकि सिर्फ़ उन्होंने ही क़त्ल का मशवरा दिया था।

पस हम कहते हैं कि हो सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का काग़ज़ मंगवाने के लिए हुक्म देना या जैश-ए-उसामा की तैयारी के

लिए फ़रमाना और इसी तरह आपका मरवान को मदीना से निकलवाना ब-तरीक़ वहीये इलाही न हो बल्कि महज़ रा'य और इज्तेहाद से हो।

लिहाज़ा इन उमूर की मुख़ालफ़त को हम कुफ्र नहीं मानते(**यहाँ शिआवों का अक़ीदा का रद्द होता है**) क्योंकि इस तरह की मुख़ालफ़त सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अज्म'ईन से साबित है कि अभी गुज़रा। और ब-वजूद इसके कि नुज़ूल-ए-वही का सिलसिला जारी था कोई इताब या इंकार इस पर बारी त'आला से वारिद नहीं हुआ हलानके हुज़ूर की शान-ए-वाला में सहाबा किराम की तरफ़ से ज़रा सी बे- अदबी वाक़े होने पर हक़ सुब्हानहु ओ त'आला की जानिब से नहीं (चेतावनी) वारिद होती और मुरतकिबीन बे-अदबी पर वा'ईद नाज़िल होती

कुरआन में है

"ऐ ईमान वालों! अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊँचा न उठाओ और गुफ़्तुगू बुलंद आवाज़ से जैसा कि आपस में एक दूसरे से करते हो न किया करो ऐसा न हो के तुम्हारे अमल ज़ाया हो जाएँ और तुमको इल्म भी न हो।"(सूरह अल-हुज्ज़ात, आयत 2)

शरह मवाक़िफ़ ने आमदी से नक़्ल करते हुए कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के वक़्त मुसलमान एक ही अक़ीदे पर क़ा'इम थे। सिवाए उन लोगों के जो निफ़ाक़ को छुपाते थे और मुवाफ़िक़त को ज़ाहिर करते थे। फिर उनमें आपस में इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर हुआ। पहले उन उमूर-ए-इज्तेहादिया में जिनसे न तो ईमान वाजिब हो और न कुफ्र वाजिब है और उनकी ग़र्ज़ इससे दीन के मरासिम को क़ाइम करना और शरी'अत के तुरूक़ की पायदारी थी।

इख़्तिलाफ़

चुनांचे एक इख़्तिलाफ़ उनका (शिआवों का) वो था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मर्ज़-ए-मौत में आपके फ़रमान **"इ'अतुनी बिकिरतस इल्ख" (काग़ज़ मंगवाने के लिए हुक्म)** के ज़ैले में रूनामा हुआ या वो इख़्तिलाफ़ जो जैश-ए-उसामा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से पीछे रहने में वाक़े हुआ।

बा'ज़ ने इत्तिबा' को वाजिब क़रार दिया ब-मूजिब हुक्म हुज़ूर अलैहिस्सलाम: **"जह्हिज़ू जैश उसामाता रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ल'अन अल्लाहु मन तखल्लफ़ा अन्ह" (उसामा के लश्कर को तैयार करो, अल्लाह की ल'अनत हो उस पर जो उससे पीछे रहे यानी शामिल न हुए)**। और बा'ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीमारी का अंजाम देखने के इंतज़ार में पीछे रहे (यानी मुहब्बत में)।

अगर इस पर ऐतिराज़ करें और इसी मुक़द्दमा-ए-ममनू'अ को साबित करने लगें कि सरवरे का'इनात अलैहिस्सलातु व सलाम के इज्तेहाद का सुबूत भी तो वहीये इलाही से हुआ है।

"इससे यह हक़ीक़त वाज़ेह हो जाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अहवाल व अक़्वाल वही के मुताबिक़ हैं, क्योंकि अहकाम-ए-इज्तेहादिया भी आखिरकार वही के ज़रिया ही साबित और मुस्तहकम हुए।

जवाब (सुन्नी आलीम का)

हम कहते हैं कि "अफ़'आल और अक़्वाल" से मुराद हर वह काम और हर वह बात है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है, और यह सब तफ़सील के साथ मौजूद है – जैसा कि समझदार और गहरी नज़र रखने वाले इंसान पर यह बात छुपी हुई नहीं।

वरना (अगर ऐसा न माना जाए) तो यह बात लाज़िम आएगी कि तमाम मुजतहिदीन के अक़्वाल और अफ़'आल भी वही-ए-इलाही के मुताबिक़ हों, क्योंकि उनका इज्तेहाद भी तो वही से साबित माना जाएगा।

इसलिए अक़्लमंद इंसान को चाहिए कि वह इससे नसीहत और इबरत हासिल करे।

अलावा इसके, हम यह भी कहते हैं कि इस मुक़द्दमे (बात) को साबित करने में कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद एक दूसरे उसूल पर है।

और वह उसूल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम अफ़'आल और अक़्वाल का वही-ए-इलाही से साबित होना एक मुक़द्दमा है।

और दूसरा मुक़द्दमा यह है कि तक़दीर के मामले में उनकी मुख़ालफ़त को कुफ़्र माना जाए – जिसका बयान पहले गुज़र चुका है।

उलमा-ए-मावरा-उन-नहर की इबारत में जब यह कहा गया कि "हुज़ूर ﷺ के तमाम अफ़'आल व अक़्वाल वही के मुताबिक़ हैं", तो इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज़ बिना किसी इस्तिस्ना के है।

बल्कि इससे मुराद वे तमाम उमूर (मामलात) हैं जो इज्तेहादी मसाइल के अलावा आप ﷺ से सादिर हुए – चाहे वे वही-ए-ख़फ़ी (छुपी हुई वही) के ज़रिये हों या वही-ए-जली (वाज़ेह वही) के।

और इतनी तअमीम (आम बयान) ही उनके मक़सद को समझाने के लिए काफी है।

ज़ाहिर है वो अहादीस जो खुल्फ़ा-ए-सलासा की मदह ओ सतईश में वारिद हैं। उनका शुमार ग़ैब की ख़बरों से है और ग़ैब ब-तरीक़ वहीये ईलाही हो सकता है।

रा'य और इज्तेहाद को इसमें कोई दख़ल नहीं। ख़ुदाए अज़्ज़ ओ जल ने फ़रमाया

"अल्लाह ही के पास ग़ैब की कुँजियाँ हैं उनको सिवाए इसके कोई नहीं जानता।"

अल्लाह त'आला ने फ़रमाया के

"वो ग़ैब का जान-ने वाला है, अपने ग़ैब पर किसी को आगाह नहीं करता मगर जिसको चाहे अपने रसूलों में से।"

लेकिन इस सूरत में यह लाज़िम आता है कि आयत

"وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ"

से आम (जनरल) मआनी मुराद लिए जाएँ –

जो क़ुरआन और वही-ए-ख़फ़ी दोनों को शामिल हों।

और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के अक़्वाल और अफ़'आल का इंकार, या उनकी मुख़ालफ़त करना –
दरअसल वही-ए-इलाही का इंकार और उसकी मुख़ालफ़त है और वहीये ईलाही की मुख़ालफ़त कुफ़्र है।

और वह हदीसें जो इन बुज़ुर्गों की मदह और सताईश में आई हैं, और जिन्हें अल्लाह तआला ने ख़ास तौर पर इल्म का खज़ाना बनाया है, वे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहां तक कि अगर उनकी रिवायत करने वालों की संख्या के लिहाज़ से जाँचा जाए, तो वे शोहरत की हद तक या माने में हदीस-ए-तवातुर *(वो हदीस है जिसे इतनी तादाद में मो'तबर रावी'ओं ने लगातार और आज़ादाना तौर पर रिवायत किया हो के इसके झूठ होने या गलत फ़हमी का कोई संभावना न रहे)* के दर्जे तक पहुँचती हैं। हम उनमें से कुछ का ज़िक्र करते हैं, मसलन-

एक वो जो तिर्मिज़ी

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बदें बयान करते हैं कि **"आपने अबू बकर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से इरशाद फ़रमाया कि तुम मेरे ग़ार के साथी हो और हौज़-ए-कौसर पर मेरे रफ़ीक़।"**

इन्हें तिर्मिज़ी की बयान कर्दा हदीस कि

"आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिब्राईल मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ कर मुझको जन्नत का दरवाज़ा दिखाया जिससे मेरी उम्मत के लोग दाख़िल हों। अबू बकर बोले या रसूलुल्लाह मेरी आरज़ू है कि मैं आपके साथ होता और इस दरवाज़े को देखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया अबू बकर तुम तो जन्नत में सबसे पहले दाख़िल होगे।"

बुख़ारी ओ मुस्लिम में हदीस नक़्ल है कि

"नबी ﷺ ने फ़रमाया मैं जन्नत में गया और वहाँ मैंने एक महल देखा जिसके सेहन में एक लौंडी थी, मैंने पूछा यह किसकी है कहा यह उमर बिन ख़त्ताब की है। मेरा इरादा हुआ कि अंदर जाकर लौंडी को देखूँ लेकिन ऐ उमर तुम्हारी ग़ैरत मुझको याद आई। हज़रत उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ने फ़रमाया या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान हों क्या आप पर मुझे ग़ैरत हो सकती है।"

इब्न माजा रिवायत करते हैं कि

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया **"मेरी उम्मत का वह शख्स जन्नत में सबसे बुलंद दर्जा होगा।" अबू सईद रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु कहते हैं कि हम उस शख्स से मुराद सिवाए उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु के किसी को नहीं जानते थे यहाँ तक कि उन्होंने वफ़ात पायी।**

यहाँ वो हदीस भी क़ाबिल-ए-लिहाज़ है जो अबू अली अम्मर बिन यासिर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से नक़्ल करते हैं कि "नबी" फ़रमाते हैं कि **"मैंने अबू बकर और उमर को मुक़द्दम नहीं बनाया बल्कि ख़ुद ख़ुदा त'आला ने उनको मुक़द्दम ठहराया।"** वो हदीस जो अबू अली बयान करते हैं कि **"फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे पास जिब्राईल आए मैंने उनसे कहा कि उमर बिन ख़त्ताब के फ़ज़ा'इल बयान कीजिए उन्होंने जवाब दिया अगर मैं उनके फ़ज़ा'इल इस क़दर बयान करूँ जिस क़दर मुद्दत नूह अपनी क़ौम में रहे तो भी उनके फ़ज़ा'इल ख़त्म न हों और उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हैं।"**

यहाँ वो हदीस भी क़ाबिल-ए-लिहाज़ है जिसको तिर्मिज़ी और इब्न माजा अली इब्न अबी तालिब ओ अनस रज़िअल्लाहु त'आला अन्हुमा से नक़्ल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि **"अबू बकर ओ उमर दोनों जन्नत के अधेड़ उमर वालों के सरदार हैं अव्वलीन से आख़िरीन तक सिवाए अंबिया और मुर्सलीन के।"**

यहाँ वो हदीस भी क़ाबिल-ए-ग़ौर है जो बुख़ारी ओ मुस्लिम मूसा अश'अरी रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से नक़्ल करते हैं कि उन्होंने कहा **"मैं (मूसा अश'अरी) मदीना के एक बाग़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था एक शख्स आए उन्होंने दरवाज़ा खुलवाना चाहा आपने फ़रमाया दरवाज़ा खोलो और अंदर आने वाले को जन्नत की ख़ुशख़बरी दो। मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि अबू बकर हैं।**

मैंने उनको ख़ुशख़बरी दी उन्होंने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक शख्स ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा। हुज़ूर अकरम ने मुझसे फ़रमाया। दरवाज़ा खोलो आने वाले को जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाओ। मैंने दरवाज़ा

खोला क्या देखता हूँ कि उमर हैं। मैंने उनको ख़ुशख़बरी सुनाई उन्होंने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक आदमी ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा, आपने फ़रमाया दरवाज़ा खोलो और इन्हें जो मुसीबत पहुँचने वाली है उसके बदले में उनको जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाओ। क्या देखता हूँ कि वो उस्मान हैं। मैंने उनको ख़ुशख़बरी सुनाई उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्लाह मददगार है।"

मरवान की जलावतनी का मसला और उसकी मुद्दत

अगर यह मान भी लिया जाए कि मरवान का निकाला जाना किसी तरह की वही या नबवी हिदायत पर मबनी था, तब भी यह ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए जलावतनी (वतन से दूर कर देना) हो। शरीअत में कई सजाएँ ऐसी होती हैं जिनमें मुक़र्ररा मुद्दत तक जलावतनी होती है और उसके बाद वह सज़ा ख़त्म हो जाती है।

इसकी मिसाल उस हुक्म से दी जाती है जो ज़िना के बारे में बयान हुआ है कि अगर कुँवारा मर्द और कुँवारी औरत ज़िना करें, तो उन पर सौ कोड़े और एक साल की जलावतनी की सज़ा दी जाती है। इससे मालूम होता है कि कभी-कभी जलावतनी एक वक़्ती तादीबी सज़ा होती है, न कि हमेशा के लिए।

इसी आधार पर कुछ उलेमा यह कहते हैं कि चूँकि हज़रत उस्मान को उस इख़राज की मुद्दत का इल्म था, इसलिए जब वह मुद्दत पूरी हो गई तो उन्होंने मरवान को मदीना वापस बुला लिया। इस लिहाज़ से इसमें कोई शरई क़बाहत नहीं मानी जाती, क्योंकि सज़ा और जलावतनी की तयशुदा मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी।

जहाँ तक क़ुरआन की आयत

لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله

(तुम ऐसी क़ौम नहीं पाओगे जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती हो और वह अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करें)

इस आयत का ताल्लुक़ है, तो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि यह आयत असल में कुफ़्फ़ार और मुहाद्दीन (अल्लाह व रसूल के दुश्मनों) की दोस्ती से मना करती है।

जब तक किसी शख़्स का कुफ़्र साबित न हो, उस पर इस आयत को लागू करना सही नहीं होता। इसलिए जो उलेमा मरवान के बारे में यह राय रखते हैं कि उसका कुफ़्र साबित नहीं, उनके नज़दीक इस आयत को उसके साथ दोस्ती के मसले पर दलील बनाना दुरुस्त नहीं।

लिहाज़ा समझो, इंसाफ़ करो और सीना ज़ोरी न करो कि अंधी ऊँटनी की तरह बहकने लगो।

खुलफ़ा-ए-सलासा की फ़ज़ीलत पर शिया का एतराज़

नीज़ शिया यह एतराज़ पेश करते हैं कि खुलफ़ा-ए-सलासा की फ़ज़ीलत और मदह में जो अहादीस बयान की जाती हैं, वह दोनों फ़रीक़ों (अहले सुन्नत और शिया) के यहाँ मुत्तफ़िक़-अलैह (जिस पर सबका इत्तिफ़ाक़ हो) नहीं हैं। उनका कहना होता है कि उनकी किताबों में इन रिवायतों (जो आपने अभी उपर की अहादीस पढ़ा) का कोई ज़िक्र नहीं मिलता, जबकि कुछ रिवायतें – जैसे काग़ज़ (क़िर्तास) का वाक़िआ या जैश-ए-उसामा का मसला – दोनों फ़रीक़ों की किताबों में बयान हुई हैं, इसलिए उनके मुताबिक़ वही ज़्यादा क़ाबिल-ए-एतिमाद हैं।

इसके साथ कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अहले सुन्नत के कुछ उलेमा ने मसलहत की ख़ातिर हदीस गढ़ने (वज़्अ-ए-हदीस) को कभी-कभी जायज़ कहा है, इसलिए जो रिवायतें दोनों फ़रीक़ों में मुत्तफ़िक़ (जिस पर इत्तिफ़ाक़) नहीं हैं उन पर एतिमाद नहीं किया जा सकता।

तहरीफ़-ए-कुरआन के इल्ज़ाम का रद्द

दफ़्अ-ए-इश्काल के तौर पर इस्बात-ए-मुक़द्दमा-ए-ममनू‘अ के तरीक़े से कहा जाता है कि जब कुछ शिया लोग सख़्त ता‘अस्सुब और इनाद की

बुनियाद पर अस्लाफ-ए-उम्मत पर त'न करते हैं और खुलफ़ा-ए-सलासा पर गाली, तौहीन करना बल्कि कभी-कभी काफ़िर क़रार देना तक को दीन समझते हैं, खुलफ़ा-ए-सलासा से नफ़रत की वजह से नतीजा यह निकलता है कि वह उन सहीह अहादीस को भी स्वीकार नहीं करते जिनमें इन हज़रात के मनाक़िब (फ़ज़ाइल) बयान हुए हैं।

इसी वजह से वह उन अहादीस-ए-सहीहा पर बे-सनद और बे-दलील जरह व क़दह करने लगते हैं और कभी-कभी उनमें तहरीफ़ (बदलाव) और तसर्रुफ़ का इल्ज़ाम भी लगाते हैं।

अहले सुन्नत के उलेमा कहते हैं कि यह रवैया केवल हदीस तक महदूद नहीं रहता, बल्कि कुछ ग़ाली गिरोह इस से भी आगे बढ़कर Qur'an के बारे में भी ग़लत दावे करने लगे। हालाँकि क़ुरआन वह किताब है जो तवातुर के साथ पहली सदियों से उम्मत में नक़्ल होती चली आ रही है, और जिसमें कमी-बेशी की कोई गुंजाइश नहीं।

क़ुरआन में साफ़ इरशाद है:

"إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ○ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ"

तर्जुमा : **बेशक उसका जमा करना और उसका पढ़वाना हमारे ज़िम्मे है; जब हम उसे पढ़वा दें तो तुम उसके पढ़ने की पैरवी करो।)**

सूरह अल-क़ियामा (17-18)

अहले सुन्नत के उलेमा के मुताबिक़ कुछ ग़ाली लोगों ((यानी शिआवों) ने इन आयतों में तसहीफ़ (लफ़्ज़ बदलना) तक की बातें कही और उनका रूप बदलकर पेश करने की कोशिश की। इसी तरह यह दावा भी किया गया कि कुछ आयतें अहले बैत की मदह में थीं जिन्हें Uthman ibn Affan ने (नऊज़ु बिल्लाह) क़ुरआन में शामिल नहीं किया।

अहले सुन्नत वल-जमाअत के उलेमा इन दावों को सख़्ती से रद्द करते हैं और कहते हैं कि क़ुरआन करीम की हिफ़ाज़त खुद अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे ली है, जैसा कि क़ुरआन में ही फरमाया गया:

"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"

तर्जुमा : **"बेशक यह किताब (कुरान) नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगेबान (रक्षक) हैं"** ।

– *सूरह अल-हिज्र, 9)*

इसी वजह से अहले सुन्नत के उलेमा का मुत्तफ़िक़ उसूल यह है कि क़ुरआन में किसी तरह की तहरीफ़, कमी या ज़्यादती का दावा करना ग़लत और बातिल है, और जो मुसहफ़ आज उम्मत के पास मौजूद है वही वही क़ुरआन है जो मुहम्मद ﷺ पर नाज़िल हुआ था और जिसे सहाबा-ए-किराम ने उम्मत तक तवातुर के साथ पहुँचाया।

यह बात भी ऊपर गुज़र चुकी है कि इन शिया के कुछ गिरोह अपने फ़िरक़े की नफ़ा और बहबूद के लिए कभी-कभी झूठी गवाही या ग़ैर-मुतबर रिवायतों को भी रवा रखते हैं। इसी वजह से अहले सुन्नत के कई उलेमा के नज़दीक उनकी रिवायतों पर एतिबार कमज़ोर समझा गया और उनकी रावी की भरोसेमंदी पर एतराज़ किया गया।

इसी बुनियाद पर कहा गया कि उनकी तस्नीफ़ की हुई किताबें इल्मी एतिबार खो बैठीं और उन पर वैसा भरोसा नहीं रहा जैसा अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों पर किया जाता है। इसके बरअक्स अहले सुन्नत की कुतुब-ए-सिहाह – ख़ास तौर पर सहीह अल-बुख़ारी और सहीह मुस्लिम – को बहुत ऊँचा दर्जा दिया गया है। मुहद्दिसीन के नज़दीक सहीह बुख़ारी को क़ुरआन के बाद सबसे ज़्यादा सही और मुस्तनद किताब माना जाता है।

इन किताबों में खुलफ़ा-ए-सलासा की फ़ज़ीलत और मनाक़िब में बहुत सी सहीह रिवायतें मौजूद हैं।

मगर ता'स्सुब और खराब मिज़ाज की वजह से कुछ लोग इन्हीं रिवायतों को मज़म्मत समझ बैठते हैं। अहले सुन्नत के उलेमा के नज़दीक यह सरासर ख़याल-ए-फ़ासिद और तसव्वुर-ए-बातिल है। इसकी मिसाल उस शख़्स की तरह दी जाती है जिसका मिज़ाज बीमार हो जाए और वह मीठी शक्कर को भी कड़वा महसूस करे।

इसी तरह उलेमा यह भी बयान करते हैं कि जिन लोगों का मिज़ाज कज (टेढ़ा) हो जाता है, वह क़ुरआन या दीन की बातों में मुतशाबिहात (जिनका मतलब कई पहलुओं से समझा जा सकता है) का सहारा लेकर फ़ित्ना पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि दीन के मसाइल को मुहकमात और सही रिवायतों की रोशनी में समझा जाए।

मनगढ़ंत हदीस और एतराज़ का जवाब

शिया मुसन्निफ़ीन यह एतराज़ हैं कि अहले सुन्नत के कुछ लोगों ने मसलहत की बुनियाद पर वज़्अ-ए-हदीस (हदीस गढ़ना) को कभी-कभी जायज़ कहा है। इसलिए उनके मुताबिक़ जो हदीसें मुत्तफ़िक़-अलैह नहीं हैं, उन पर एतिबार नहीं किया जा सकता।

अहले सुन्नत के उलेमा इसके जवाब में कहते हैं कि अगर यह बात सही होती और अहले सुन्नत ने ऐसे लोगों के क़ौल को बिना एतराज़ के स्वीकार कर लिया होता, तब यह एतराज़ कुछ वक़अत रखता। मगर हक़ीक़त इसके बिल्कुल बरअक्स है।

असल वाक़िआ यह है कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने हमेशा हदीस गढ़ने वालों (वज़्अ करने वालों) का सख़्त रद्द किया है। उन्होंने अपनी किताबों में उनके झूठ और बुहतान को साफ़ तौर पर बयान किया और उनकी रिवायतों को दर्जा-ए-एतिबार से गिरा दिया।

इल्म-ए-हदीस में इसी मक़सद के लिए जरह व तअदील का पूरा इल्मी निज़ाम क़ायम किया गया, जिसमें रावियों के हालात, उनकी सच्चाई, याददाश्त और किरदार की पूरी तहक़ीक़ की जाती है। अगर कोई रावी झूठा या ग़ैर-मुतबर साबित हो जाता, तो मुहद्दिसीन उसकी रिवायत को मर्दूद कर देते।

इसी तरह बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी मशहूर किताबों सहीह अल-बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में केवल वही रिवायतें जमा कीं जिनकी सनद और रावी उनकी सख़्त शर्तों पर खरे उतरते थे।

इसलिए अहले सुन्नत के उलेमा के नज़दीक यह कहना कि ग़ैर-मुत्तफ़िक़-अलैह हदीस पर से एतिबार उठ गया, सही नहीं है। बल्कि हक़ीक़त यह है कि मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ और तनक़ीद की वजह से हक़ और बातिल अलग-अलग होकर साफ़ हो गए और झूठी रिवायतें पहचान ली गईं।

इसी वजह से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि जब मुहद्दिसीन ने झूठे रावियों और वज़्अ-ए-हदीस करने वालों को बे-नक़ाब कर दिया और उनकी रिवायतों को मर्दूद ठहरा दिया, तो फिर अहले सुन्नत की तरफ़ कोई क़सूर मंसूब नहीं किया जा सकता। बल्कि इल्म-ए-हदीस की यही तहक़ीक़ी मेहनत दीन की हिफ़ाज़त का सबब बनी और हक़ बातिल से साफ़ जुदा हो गया।

ख़बर-ए-वाहिद और खुलफ़ा-ए-सलासा की फ़ज़ीलत पर बहस

नीज़ शिआवों के तरफ से जवाब यह पेश किया जाता है कि ख़बर-ए-वाहिद (आहाद रिवायत) की मुख़ालफ़त को कुफ्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से मुजतहिदीन ने भी कभी-कभी ख़बर-ए-आहाद के खिलाफ़ राय दी है। इसलिए उनके मुताबिक़ ऐसी रिवायतों से इख़्तिलाफ़ करने वाले को काफ़िर कहना सही नहीं।

अहले सुन्नत के उलेमा इसके जवाब में यह बयान करते हैं कि सहाबा-ए-किराम की मदह और सताइश में जो अहादीस वारिद हुई हैं, वह सिर्फ़ एक या दो रिवायतों तक महदूद नहीं हैं। बल्कि कसरत-ए-रुवात (बहुत से रावी), तअद्दुद-ए-तुरुक़ (कई अलग-अलग सनदें) और तवातुर-ए-मानवी की वजह से उनका मतलब और मफ़हूम बहुत मज़बूत हो चुका है। इसलिए उनके मफ़हूम से इंकार को बहुत संगीन माना जाता है।

इसी वजह से उलेमा यह भी कहते हैं कि इस क़िस्म की रिवायतों की मुख़ालफ़त मुजतहिदीन से साबित नहीं है। बल्कि फ़िक़्ह-ए-इस्लाम के बड़े इमाम – जैसे इमाम अबू हनीफ़ा –ने तो ख़बर-ए-वाहिद को भी अहमियत दी और कई मौक़ों पर क़ौल-ए-सहाबी को क़ियास पर मुक़द्दम रखा। यानी अगर किसी सहाबी का क़ौल मौजूद हो, तो उसे क़ियास से ऊपर तरजीह दी जाती है।

दूसरी तरफ़ शिया यह कहते हैं कि अगर नबी करीम ﷺ ने खुलफ़ा-ए-सलासा की ताज़ीम या तारीफ़ बयान की भी हो, तो वह उस वक़्त की बात थी जब उनके ख़िलाफ़ कोई अमल (गुनाह) सादिर नहीं हुआ था। इसलिए उनके मुताबिक़ उस तारीफ़ से यह ज़रूरी नहीं कि बाद में भी उनकी हालत वही रहे।

इस पर उलेमा मिसाल देते हैं कि कभी-कभी किसी शख़्स के बारे में बुरे अंजाम का इल्म होने के बावजूद उसे पहले सज़ा नहीं दी जाती। जैसे रिवायतों में आता है कि अली इब्ने अबी तालिब को यह मालूम था कि अब्द अल-रहमान इब्न मुल्जिम उनसे दुश्मनी रखता है और बाद में वही क़त्ल का सबब बना, लेकिन इसके बावजूद उससे पहले उसे सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि गुनाह के सादिर होने से पहले सज़ा देना मुनासिब नहीं समझा गया।

सहाबा की मदह वाली अहादीस और उनकी आक़िबत की दुरुस्ती

वाज़ेह हो कि जो अहादीस सहाबा-ए-किराम की मदह, सताइश और ताज़ीम में वारिद हुई हैं, वह केवल उस वक़्त की तारीफ़ नहीं बल्कि उनकी आक़िबत की भलाई और बेहतरीन अंजाम पर भी दलील करती हैं। क्योंकि नबी करीम ﷺ की तरफ़ से किसी शख़्स की खुली मदह और ताज़ीम होना इस बात की निशानी है कि उसका अंजाम भी भलाई पर होगा।

इसलिए अहले सुन्नत के उलेमा कहते हैं कि सहाबा की फ़ज़ीलत में जो सहीह अहादीस बयान हुई हैं, उनका मज़मून साफ़ तौर पर इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि इन बुज़ुर्ग हस्तियों का ख़ातिमा अमन और भलाई पर होगा। ऐसी सहीह और हसन रिवायतें बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें उनकी फ़ज़ीलत और बुलंदी का बयान मौजूद है।

दूसरी तरफ़ यह उसूल भी बयान किया जाता है कि जिस तरह गुनाह के सादिर होने से पहले सज़ा देना मुनासिब नहीं, उसी तरह जिस शख़्स की बुराई और सज़ा का हक़दार होना मालूम हो, उसकी मदह और सताइश भी रवा नहीं होती। इसलिए जब नबी करीम ﷺ ने सहाबा की तारीफ़ और ताज़ीम बयान की, तो यह उनके अच्छे अंजाम और दुरुस्त रास्ते पर होने की दलील है – उस वक़्त भी और आगे भी।

इसी उसूल की मिसाल में कहा जाता है कि अली इब्ने अबी तालिब ने जब अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम के बारे में मामला देखा, तो अगरचे उससे पहले उसे सज़ा नहीं दी गई, मगर उसकी तारीफ़, तौसीफ़ या ताज़ीम भी नहीं की गई। क्योंकि जिस शख़्स की बुराई और अपराध का अंदेशा हो, उसकी मदह करना मुनासिब नहीं होता।

इसी तरह सहाबा की फ़ज़ीलत के सिलसिले में क़ुरआन की आयत भी दलील के तौर पर पेश की जाती है:

“لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ” . . .

(बेशक अल्लाह मोमिनों से राज़ी हो गया जब वे तुमसे दरख़्त के नीचे बैअत कर रहे थे।)

(सूरह अल-फ़त्ह 48:18)

सुन्नी उलेमा बयान करते हैं कि इस आयत में सहाबा के बारे में अल्लाह की रज़ामंदी का ऐलान है, जो उनकी फ़ज़ीलत और नेक अंजाम की मज़बूत दलील मानी जाती है।

रवाफ़िज़ और सब-ए-सहाबा इकराम

फ़तवा उलमा-ए-मावरा-उन-नहर में:

उलमा-ए-मावरा-उन-नहर रहिमहुमुल्लाह ने फ़रमाया कि बा-मुक़्तज़ा-ए-आयत-ए-करीमा

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ''

"लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन"

तर्जुमा: बेशक अल्लाह मोमिनों से राज़ी हो गया|

(सूरह अल-फ़त्ह 48:18)

ख़ुलाफ़ा-ए-सलासा रज़ामंदी हक़ से मुशर्रफ (सम्मानित) हो चुके हैं लिहाज़ा उनको गाली देना कुफ्र होगा|

रवाफ़िज़ का जवाब : शिया ने जवाब में बा-तरीक़ मनाजिज़ा (बहस के अंदाज़ में) कहा और उनकी रज़ामंदी के इस्तिल्ज़ाम को रद्द किया| कहा कि अगर इस आयत को गहरी नज़र से देखा जाए तो उससे यह पता चलता है कि एक खास काम (यानी बैअत) के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रज़ामंदी थी|

और यह भी बात है कि ख़ुलफ़ा-ए-सलासा से कई अच्छे काम (अफ़आल-ए-हसना) हुए, इसमें किसी को इंकार नहीं है|

लेकिन बहस इस बात में है कि उनसे कुछ बुरे काम (अफ़आल-ए-क़बीहा) भी हुए, जो बैअत और किए हुए वादे के खिलाफ़ थे जैसे|

- ✓ उन्होंने खिलाफ़त के बारे में नबी ﷺ की नस् (स्पष्ट आदेश) की मुख़ालफ़त की,
- ✓ और खिलाफ़त को अपने हाथ में ले लिया,
- ✓ तथा हज़रत फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद (रज़ियल्लाहु अन्हा) को दुखी (आज़ुर्दा दिल) किया|

हालांकि सही बुखारी में मज़कूर है और मिश्कात में मनाक़िब (तारीफ़) के बयान में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहू तआला अन्हा के बारे में मन्क़ूल है कि **"हुज़ूर ने फ़रमाया जिसने इनको अज़ियत पहुँचाई तो उसने मुझको अज़ियत पहुँचाई और जिसने मुझको अज़ियत पहुँचाई उसने गोया अल्लाह को सताया।"**

फिर इस कलाम-ए-सादिक़ का मज़मून **"अलबत्ता वह लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं। उन पर अल्लाह ने दुनिया ओ आख़िरत में लानत की"** साफ़ इस अम्र पर गोया है।

ख़ुलासा-ए-कलाम यह है कि बुरे कामों (अफ़आल-ए-क़बीहा) की वजह से—और हज़रत पैग़म्बर ﷺ की वसीयत को रद्द करने तथा जैश-ए-उसामा के साथ न जाने (उससे पीछे रह जाने) के कारण—वे तअन (इल्ज़ाम) और मज़म्मत (निंदा) का निशाना बने।

क्योंकि इंसान की आख़िरत की सलामती उसके आमाल के अच्छे ख़ात्मे पर निर्भर होती है, और हज़रत पैग़म्बर ﷺ से किए गए अहद (वादा) को पूरा करने पर।

सुन्नी जवाब : हम कहते हैं कि जिस मुक़द्दमा को वह रद्द करते हैं उसी को हम साबित करते हैं। और बयान-ए-इस्तिल्ज़ाम यह है कि आयत-ए-करीमा का मफ़्हूम बाद तहक़ीक़ ओ तदक़ीक़ यह ठहरता है कि हक़ सुब्हानहू की रज़ामंदी मोमिनीन के साथ उसी वक़्त से साबित है जबके वह नबी के साथ बैअत कर रहे थे। ज़ियादा से ज़ियादा यह है और तदक़ीक़ से भी यूँ मालूम होता है कि बैअत उनकी नबी के साथ अल्लाह तआला की रज़ामंदी की इल्लत है पस बैअत का फेल हसन होना और पसंदीदा होना उनसे खुद समझ में आ सकता है क्योंकि वह रज़ामंदी की इल्लत (वजह) है। चुनांचे जब यह लोग बैअत करने wale us इस बैअत की वजह से अल्लाह तआला की रजामंदी से मुशर्रफ हो चुके हैं तो बैअत बा-तरीक़-ए-अव्वल पसंदीदा होगी। लेकिन बैअत का पसंदीदा होना असल में बगैर इसके कि बैअत करने वाले पसंदीदा लोग हों जैसा कि शिया गुमान करते हैं फ़हम से बिल्कुल बईद बात है। जो असालीब-ए-कलाम से ज़रा सी वाक़िफ़ियत भी रखता होगा उससे यह हक़ीक़त पोशीदा

नहीं। और जब तक उनकी रसाई ना हो सकी तो उन्होंने अपनी ख़ता का नाम तदक़ीक़ रख लिया।

लिहाज़ा हम कहते हैं कि वह जमाअत जिससे हक़ सुब्हानहू राज़ी हो गया हो उनके अंदरूनी और छुपे हालात से वाक़िफ़ हो उन पर सकीना और इत्मीनान उतार चुका हो जैसा कि फ़रमाया "पस जाना उनके दिल की चीज़ को पस नाज़िल की सकीना उन पर।" और इस जमाअत को अंसार सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जन्नत की ख़ुशख़बरी सुना दी हो वह जमाअत ला-महाला ख़ातिमा की बुराई और नक़्स-ए-अहद ओ बैअत से महफ़ूज़ ओ मामून होगी।

इसके अलावा अगर आयत से मुराद अल्लाह तआला की रजामंदी उनके फेल-ए-ख़ास बैअत से हो जैसा कि शिया को धोखा लगा है तो हम कहते हैं कि जब हक़ सुब्हानहू उनकी बैअत से राज़ी हुआ और उनके इस फेल को मुस्तहसन समझा तो वह जमाअत जो इस रजामंदी से मुशर्रफ हुई पसंदीदा और महमूद-उल-आक़िबा होगी। और अल्लाह तआला उस वक़्त कुफ़्फ़ार के अफ़आल से राज़ी नहीं है और इसी तरह इस जमाअत के अफ़आल से भी राज़ी नहीं जो मज़मूम-उल-आक़िबा है।

अगरचे पसंदीदा अफ़आल उससे सरज़द हों और वह अफ़आल-ए-हसना और सालेहा हों। चुनांचे ऐसे ही लोगों के आमाल के बारे में इर्शाद-ए-बारी तआला है "और वह लोग ही काफ़िर हैं उनके आमाल सराब (धोखा) की तरह हैं जो चटील मैदान में हो प्यासा उसको पानी समझता है यहाँ तक कि जब उसके पास आता है उसको कुछ नहीं पाता। या दूसरी जगह फ़रमाता है "और जो तुम में से अपने दीन से मुर्तद हो जाए पस वह मर जाए काफ़िर हो कर वही लोग हैं जिनके आमाल दुनिया ओ आख़िरत में ज़ाया हो गए हैं।" लिहाज़ा वह फेल जो आख़िरत में काम ना आए और ना-चीज़ हो जाए। इससे अल्लाह तआला की रजामंदी कोई मानी नहीं रखती क्योंकि रज़ा क़बूलियत के आख़िरी दर्जे से इबारत है और अल्लाह तआला का किसी चीज़ को रद्द करना या क़बूल करना बा-एतिबार अंजाम और नतीजे के है क्योंकि दार ओ मदार ख़ातिमा पर होता है।

ख़िलाफ़त अली रदियल्लाहु अन्हु-उल-मोमिनीन अली रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु के बारे में हज़रत पैग़म्बर अलैहिस सलाम से किसी नस का वुरुद होना साबित नहीं हुआ। बल्कि इम्तिना-ए-वुरुद पर दलील क़ायम है क्योंकि अगर नस वारिद होती तो बा-तवातुर नक़्ल होती कि उसके दवई (दावेदार) बहुत होते। मसलन अगर किसी ख़तीब का मिम्बर पर क़त्ल हो जाए तो वह मशहूर और मुतवातर होता है। नीज़ हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु इस नस को दलील में पेश करते और अबू बक्र रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु को ख़िलाफ़त से रोक देते। जिस तरह हज़रत अबू बक्र रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु ने अंसार को ख़िलाफ़त से रोक दिया और हदीस **"अल-अइम्मतु मिन क़ुरैश।"**

तर्जुमा: "इमाम क़ुरैश में से होंगे।"

पश की अंसार ने उसको क़बूल किया और इमामत से दस्तकश हो गए।

अल्लाह शरह तज्रीद ने कहा जिसको दीन से ज़रा सा भी लगाव हो वह कैसे गुमान करे कि सहाबा इकराम जिन्होंने हुज़ूर की नुसरत की ख़ातिर शरीअत को बरक़रार रखने के लिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तामील-ए-हुक्म और इत्तिबा-ए-तरीक़ा की ख़ातिर अपनी जानें क़ुर्बान कीं, अपना माल ओ दौलत लुटा डाला अपने अज़ीज़ ओ अक़ारिब और कुनबे वालों को क़त्ल किया, वह क्या, वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दफ़न करने करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त कर बैठें। फिर जबकि मक़सूद पर नुसूस-ए-क़तईया और ज़ाहिर दलाइल मौज़ूद हों बल्कि इस जगह इशारत और रिवायत और भी हैं कि बहुत दफ़ा उनके जमा होने से इल्म-ए-क़तई हो जाता है अगरचे वह उन नुसूस-ए-क़तईया के मिस्ल ना हों। और वह यह कि वह (नुसूस-ए-क़तईया) जो इमामत हज़रत अली रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु के मुतल्लिक़ हैं (मुहद्दिसीन में से किसी सिक़ह शख़्स से साबित नहीं हैं बा-वजूदिके इन मुहद्दिसीन को अली रदियल्लाहु अन्हु-उल-मोमिनीन से शदीद मोहब्बत है और उन्होंने बहुत सी वह अहादीस नक़्ल की हैं जो आपके (हज़रत अली रज़ी अल्लाहू अन्हु) मनाक़िब और उमूर-ए-दुनिया ओ आख़िरत में आपके कमालात से ताल्लुक़ रखती हैं। नीज़ आपके ख़ुत्बों, रसाईल, फ़ख़्र ओ मुबाहात के कलामों, मुख़ासमात में और उस वक़्त के लोग

आपकी बैअत से रुके रहे उनकी नक़्ल साबित नहीं। बल्कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु ने अम्र-ए-ख़िलाफ़त को छह आदमियों के मशवरे पर मौक़ूफ़ रखा और आप (हज़रत अली रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु) इस शूरा में दाख़िल हुए।

और बैअत अबू बक्र रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु के मौक़े पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु से फ़रमाया "आप हाथ बढ़ाइए मैं आप से बैअत करूँ ताकि लोग कहें कि हुज़ूर के चचा ने अपने भतीजे से बैअत कर ली। नतीजतन आपकी बैअत से दो आदमी भी ना फिर सके।" लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु ने फ़रमाया "काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस अम्र-ए-ख़िलाफ़त के बारे में दरयाफ़्त कर लेता फिर जो होता उसमें हम झगड़ा ना करते।"

फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहू तआला अन्हु से लोगों के बैअत करने में मुबाहिसा किया लेकिन कोई नस-ए-नबी पेश नहीं की।

तकलीफ़ -ए-फ़ातिमा क पुरा मसला

हदीस शरीफ़ में जो यह आया है कि हज़रत फ़ातिमा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा को तकलीफ़ देना मना है, उसका यह मतलब नहीं कि हर तरह की मामूली नाराज़गी या दिल दुखना भी उसी हुक्म में शामिल हो।

क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि हज़रत फ़ातिमा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा किसी घरेलू वजह से हज़रत अली रदिअल्लाहु त'आला अन्ह से भी नाराज़ या दिल-दुखी हो गईं।

इससे पता चलता है कि हदीस में जिस आज़ार (तकलीफ़) की मुमानअत है, उससे मुराद जान-बूझकर या बुरे इरादे से तकलीफ़ देना है, न कि हर वह स्थिति जिसमें दिल किसी वजह से दुख जाए।

चुनांचे अहादीस ओ आसार इस पर दलील हैं।

नीज़ हज़रत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने बा'ज़ अज़वाज से फ़रमाया **"मुझे आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के मा'मले में ईज़ा न दो क्योंकि बहीये इलाही मुझ पर सिवाए आइशा के किसी के लिहाफ़ में नहीं आती।"**

लिहाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के आज़ार ओ आज़ुर्दागी को भी अपना आज़ार क़रार दिया है और शक नहीं के आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु से आज़ुर्दा दिल थीं।

लिहाज़ा हम कहते हैं के अहादीस में जिस तकलीफ़ देना की मुमाना'अत (मना) है हो सकता है के वो ख़्वाहिश-ए-नफ़सानी के साथ मख़सूस हो और इरादा-ए-शैतान के साथ मश्रूत हो।

अगर सच्ची बात (कलिमा-ए-हक़) को बयान करने से किसी को तकलीफ़ या दिल-दुखी हो जाए, और वह बात कुरआन और हदीस के मुताबिक़ सही हो, तो ऐसी तकलीफ़ पहुँच जाना मना नहीं माना जाएगा।

जैसा हज़रत फ़ातिमा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से जो कुछ नाराज़गी हुई थी, उसका कारण

यह था कि हज़रत सिद्दीक़-ए-अकबर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने फ़दक की ज़मीन को विरासत के रूप में देने से मना कर दिया था।

यानी रसूलुल्लाह ﷺ की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़दक़ और अन्य संपत्ति पर विरासत का हक़ माँगा।

(नोट : फ़दक़ मदीना के पास एक ज़मीन का इलाका था जो बग़ैर जंग के मुसलमानों के हवाले हुआ। इसे फ़ै (माले गनीमत से अलग) माना जाता है।)

लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेने से रोक दिया और हदीस-ए-नबवी से हुज्जत पेश की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु इस फैसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस को दलील के तौर पर पेश करते थे, जिसमें यह बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया **"हम अंबिया के गिरोह हैं हम विरासत नहीं छोड़ते जो कुछ हम छोड़ जाएँ वो सदका है।"**

और सदका उम्मत (मुसलमानों) के बीच समान रूप से ज़रूरतमंदों को बाँटने के लिए है और दीनी ख़िदमत के लिए है न कि व्यक्तिगत (Personal) रूप से किसी के लिए बल्कि पूरे उम्म्त के लिए

हज़रत अबू बकर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का फैसला शरीअत और हदीस के मुताबिक़ था, न कि ख़्वाहिश-ए-नफ़सानी से; इसलिए उन पर कोई इल्ज़ाम या सज़ा लागू नहीं होती।

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया:

"मैं वह अमल (तरिका) नहीं छोड़ सकता जिस पर रसूलुल्लाह ﷺ अमल करते थे। हमें डर है कि अगर मैं उनके तरीक़े को बदल दूँ तो गुमराह हो जाऊँ।" *(सहीह बुख़ारी)*

अगर कोई शिआ व राफ़जी यह कहे कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस के आधार पर हुक़्म किया, जबकि वह हुक्म खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम का बताया हुआ था, तो फिर हज़रत फ़ातिमा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा को गुस्सा या नाराज़गी क्यों हुई?

क्योंकि हदीस में आया है कि फ़ातिमा की नाराज़गी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नाराज़गी है, और उन्हें दुख पहुँचाना मना है।

इसके जवाब में हम कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा का गुस्सा या दिल दुखना जान-बूझकर (क़स्द और इख़्तियार से) नहीं था।

बल्कि यह इंसानी तबीयत (बशरियत) के तक़ाज़े के कारण हुआ था। यानी इंसान होने के नाते कभी-कभी दिल में रंज या दुख पैदा हो जाना एक फितरी बात है।

नतीजा

- ✓ फ़दक़ सदका और फ़ै था, विरासत नहीं।
- ✓ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस की रोशनी में फैसला किया।
- ✓ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नाराज़गी स्वाभाविक थी, लेकिन इसमें कोई गलत इरादा नहीं था।
- ✓ अहले-सुन्नत के नज़रिए से, सभी सहाबा और अहले-बैत ताअज़िम और मोहब्बत के लायक़ है।

मक़ाम-ए-सिद्दीक़-ए-अकबर

फ़तवा उलमा-ए-मावरा-उन-नहर में

उलमा-ए-मावरा-उन-नहर फ़रमाते हैं कि अल्लाह त'आला ने क़ुरआन-ए-करीम में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु त'आला अन्हु को हज़रत पैग़म्बर ﷺ का साहिब (साथी) फ़रमाया है, इसलिए जो शख़्स उनकी मलामत (बुरा-भला कहना) या ज़म (बुराई) करता है, वह हक़ीक़त में क़ुरआन के बयान के ख़िलाफ़ जाता है।

आयत

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

की तफ़सीर **तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान** में है : हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहो अन्हो का सहाबी (साथी) होना इस आयत से साबित है. हसन बिन फ़ज़्ल ने फ़रमाया जो शख़्स हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ के सहाबी होने का इनकार करे वह क़ुरआनी आयत का इन्कारी होकर काफ़िर हुआ। *(हिन्दी मुतर्जिम)*

रवाफ़िज़ का एतराज़ : शिया इसके जवाब में मनाही करने के तौर पर कहते हैं कि पैग़म्बर का सिर्फ़ साहिब (साथी) होना ख़ूबी की निशानी नहीं।

दलील क़ुरआन की इस आयत को बनाते हैं।

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا

तर्जुमा: **"कहा उसने अपने साहिब से और वो जवाब ओ सवाल कर रहा था कि तूने कुफ़्र किया।"**

मुस्लिम और काफ़िर में मुसाहिबत हो सकती है। और

आयत

"يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ"

तर्जुमा: **"ऐ मेरे क़ैद खाना के साहिबो! क्या मुख़्तलिफ़ रब्ब बेहतर हैं या अल्लाह वाहिद-उल-क़हहार।"** (सूरह यूसुफ़, आयत: 39)

भी इसी मुताला'अ की ता'ईद करती है। गोया हज़रत यूसुफ़ जो पैग़म्बर हैं दोनों आदमियों को अपना साहिब कहते हैं जो बुत परस्त थे। इससे साफ़ ज़ाहिर हुआ कि पैग़म्बर का सिर्फ़ साहिब होना ख़ूबी की निशानी नहीं जिसके नसीब में कामयाबी ओ भलाई न थी उसको नबी का चेहरा देखने से कोई फायदा नहीं हुआ यानी अबू ज़हल।

जवाब : हम उस मना किए हुए मुक़द्दमे (दावे) को साबित करते हुए यह कहते हैं कि मुसाहिबत (संगत) अगर मुनासबत और मेल-जोल के साथ हो, तो वह बिला शुबह असर डालती है।

यानी इंसान जिस तरह की सोहबत और साथ में रहता है, उसका असर उस पर पड़ना लाज़िमी है। और उस असर (ता'सीर) का इंकार करना दरअसल असल बात को ठुकराना है और उर्फ़ ओ आदत से मुक़ाबला करने के बराबर है। चुनांचे एक बुज़ुर्ग क्या ख़ूब कहते हैं:

"हर के अज़ आसार-ए-सोहबत मुनकिर अस्त

जहल-ए-ओ बर मा मुक़र्रर मी शवद।"

तर्जुमा: **"जो सोहबत के आसार का मुनकिर है उसकी जहालत हमारे नज़दीक साबित है।"**

अब चूंकि मुस्लिम ओ काफ़िर में मुनासबत (संगत) न थी एक दूसरे की सोहबत का असर लेने से महरूम रह गए।

और यह जो मनक़ूल है कि वो दो बुत परस्त हज़रत यूसुफ़ की सोहबत की बरकत से मुसलमान हो कर मुशरिकीन की आदाद से बेज़ार हो गए तो सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु पूरी मुनासबत रखने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत बा-स'आदत से क्यों स'आदत-अंदोज़ न हों और हुज़ूर के कमाल ओ मा'आरिफ़ से किस तरह महरूम हों।

चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुद इरशाद फ़रमाते हैं कि **"अल्लाह ने मेरे सीना में जो भी चीज़ डाली वो मैंने अबू बकर के सीना में डाल दी।"**

ज़ाहिर है जिस क़दर निस्बत ज़ियादा उसी क़दर सोहबत का फ़ायदा ज़ियादा। लिहाज़ा इस तरह हज़रत सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु तमाम सहाबा से अफ़ज़ल ठहरे और सहाबा में से कोई भी आपके दर्जा तक न पहुँच सका यह इसी लिए कि आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सबसे ज़ियादा निस्बत थी।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि

"अबू बकर को कस्रत-ए-नमाज़ और रोज़ा से फज़ीलत नहीं दी गई बल्कि उस चीज़ की वजह से जो उनके दिल में डाली गई है।"

उलमा ने फ़रमाया यह है कि वो चीज़ मोहब्बत और फ़ना फ़ि हुब्ब-ए-रसूल है पस इंसाफ़ को सामने रखते हुए पैग़म्बर के ऐसे साथी को किस तरह क़ाबिल-ए-ज़म ओ ल'न क़रार दिया जाए।

इन लोगों (शिया) के मुँह से बहुत बड़ी बात निकलती है। यह लोग झूठ के सिवा कुछ मुँह से नहीं निकालते।

हज़रत अली की बै'अत और खुल्फ़ा-ए-सलासा

फ़तवा उलमा-ए-मावरा-उन-नहर में

उलमा-ए-मावरा-उन-नहर ने फ़रमाया कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ब-वजूद इंतेहाई बहादुर होने के जब लोगों ने खुल्फ़ा-ए-सलासा की बै'अत की तो आपने मन'अ नहीं फ़रमाया बल्कि ख़ुद भी मुताबी'अत में हिस्सा लिया। लिहाज़ा यह बात भी बै'अत के हक़ होने पर खुली दलील है वरना हज़रत अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की शान में फ़र्क़ आता।

रवाफ़िज़ का एतराज़ : शिया ने इसके जवाब में उल्टा एतराज़ के तरीके से कहा और जो कई लोगों में समान बोहतान हो लेकिन इसकी भी मनाही के रूप में वाजेह हो सकती है जिसे बहस करने के इल्म (मुनाज़रे) की थोड़ी भी समझ है, उसके लिए यह बात साफ़ और ज़ाहिर है।

शिया ने इस तरह कहा कि इससे पहले कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु रदिअल्लाहु त'आला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तजहीज़ ओ तकफ़ीन से फ़ारिग़ हों।

खुल्फ़ा-ए-सलासा ने सक़ीफ़ा बनी स'अीदा में अक्सर सहाबा को जम'अ किया और अबू बकर के हाथ पर बै'अत कर ली। अब जब अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने ख़बर सुनी तो इत्तिबा की कमी, अहले हक़ की कमी और बिला वजह की ख़ूनरेज़ी से डर कर या किसी और अम्र की बिना पर रुकावट डालने पर आमदा न हुए तो यह हक़ीक़त अबू बकर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की ख़िलाफ़त के हक़ होने को नहीं बयान करती।

देखिए हिजरत के मौक़े पर हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ब-वजूद इसके कि बड़े बहादुर थे और हज़रत पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर और आपके अलावा तमाम सहाबा भी हुज़ूर की हमराही में मौजूद लेकिन फिर भी कुफ़्फ़ार-ए-क़ुरैश

से जंग के बगैर मक्का मो'अज़्ज़मा से हुज़ूर ने हिजरत फरमाई। फिर एक मुद्दत बाद जब वापस मक्का की तरफ़ फिरे तो हुदैबिया में पहुँच कर सुलह की और लौट के चले गए।

लिहाज़ा जो सबब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अली रदियल्लाहु अन्हु और सहाबा का कुफ़्फ़ार-ए-क़ुरैश से जंग न करने का हो सकता है वही सबब हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के जंग न करने का हो सकता है।

बल्कि मज़ीद यह कि कुफ़्फ़ार-ए-क़ुरैश की सच्चाई का वजूद ही न था मगर हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के मुक़ाबिल के लोग तो फिर भी कुछ सच्चाई रखते थे तो उनके ख़िलाफ़ अली रदियल्लाहु अन्हु कैसे उठते। अहले तहक़ीक़ जानते हैं कि ये नक़्ज़ उठ कर ऊपर भी जाता है (या'नी अल्लाह त'आला तक पहुँचता है) (क्योंकि फ़िरऔन चार सौ साल तक तख़्त-ए-सलतनत पर बैठा द'अवा-ए- ख़ुदा ई करता रहा इसी तरह शद्दाद ओ नमरूद वग़ैरा।

सालों साल तक इस बातिल दावे में ग़लतां ओ पेचां रहे और अल्लाह त'आला ने उनको बा-वजूद अपनी कमाल क़ुदरत के हलाक नहीं किया। लिहाज़ा जब अल्लाह त'आला के हक़ में दुश्मन के दफ़िया में ताख़ीर और ढील की गुंजाइश है तो बंदा के हक़ में तो ला-महाला इस ढील की गुंजाइश होगी।

और यह जो कहा जाता है कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने खुल्फ़ा-ए-सलासा से बै'अत की तो उसका होना खुले तौर पर और अपनी खुशी से होना ना-क़ाबिल-ए-तस्लीम है।

जवाब (मुजद्दीद अल्फ सानी) : इस इश्काल शुब्हा (doubt) के हल के लिए हमारा यह कहना है कि उलमा-ए-मावरा-उल-नहर ने ख़िलाफ़त अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु के हक़ होने पर दोनों उमूर मलहूज़ रखे हैं या'नी हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का हज़रत अबू बक्र से दोबारा ख़िलाफ़त **जंग न करना** और साथ साथ उनकी मुताबी'अत ओ **बै'अत में हिस्सा** लेना।

"इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि इस हालत/तरीके में कोई कमी (ख़राबी) नहीं पाई जाती और न ही इसमें कोई बुराई है।" कि हज़रत पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुफ़्फ़ार-ए-क़ुरैश से जंग करने में ताख़ीर क्यों फ़रमाई।

न इसमें कोई ख़राबी कि अल्लाह त'आला ने फ़िरऔन, शद्दाद ओ नमरूद को हलाक करने में ताख़ीर क्यों फ़रमाई।

"क्योंकि यहाँ दूसरी शक्ल का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसके उलट (विपरीत) चीज़ मौजूद है।

ज़ाहिर है हज़रत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने और इसी तरह अल्लाह त'आला ने कुफ़्फ़ार की बुराई ओ मज़म्मत ही फ़रमाई और उनको बगैर बुराई के कभी याद नहीं किया। तो कहाँ यह मा'मला और कहाँ वो (या'नी हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने तो सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु की बुराई न कि बल्कि तारीफ़ फ़रमाई और उनसे बै'अत की)।

फिर हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की बै'अत हज़रत अबू बक्र से करना इतनी पक्की और बहुत से लोगों से लगातार रिवायत के साथ साबित है कि इसे मानना जरूरी है, और इसका इंकार करना ऐसा है जैसे हिदायत (सही रास्ते) का इंकार करना।

इस लिए जब शिया को इससे इंकार का मौक़ा न मिल सका तो घबरा कर ज़बरदस्ती और डर या नुकसान से बचने के लिए आड़ पकड़ी और हज़रत सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु की ख़िलाफ़त के रद्द के लिए इससे बेहतर लब कुशाई का कोई रास्ता उनको न सुझा।

"जब (शिया लोगों के पास) अपनी बात बचाने के लिए सिर्फ़ 'तक़िय्या' (छिपाने) का ही रास्ता रह गया, तो हम यह साबित करते हैं कि यहाँ ज़बरदस्ती (इकराह) या तक़िय्या का कोई सही होने की गुंजाइश नहीं है,

और इसी से यह बात साबित होती है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ की ख़िलाफ़त हक़ (सही) है।" कि अस्हाब-ए-किराम वफ़ात हुज़ूर के बाद और दफ़न से पहले इंतेख़ाब-ए-इमाम के मसले में लग गए और इमाम के मुन्तख़ब

(चुनाव) को उन्होंने ख़त्म-ए-ज़माना-ए-नबूवत के बाद वाजिब बल्कि अहम-उल-वाजिबात जाना।

क्योंकि हज़रत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम फरमा चुके थे के हदूद क़ाइम की जाएं, सरहद्दात पर हिफ़ाज़ती उमूर अमल में लाएं, जिहाद ओ हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम के लिए फ़ौजों को तैयार किया जाए तो यह अहकाम वाजिब हुए। और उनको सर-अंजाम करना बगैर इमाम के मुमकिन नहीं लिहाज़ा जिस चीज़ के बगैर वाजिब का वजूद न हो सके और वो दा'इरा-ए-कुदरत में भी हो तो वो चीज़ भी वाजिब होती है पस इंतेख़ाब-ए-इमाम भी वाजिब हुआ।

लिहाज़ा हज़रत सिद्दीक़-ए-अकबर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ने फ़रमाया **"ऐ लोगों जो शख्स मुहम्मद की इबादत किया करता था तो मुहम्मद वफ़ात फ़रमा गए हैं और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह त'आला ज़िंदा है, नहीं मरेगा, पस इस ख़िलाफ़त को कोई ज़िम्मेदार मुहय्या होना चाहिए, और अब तुम इस पर ग़ौर करो और अपनी अपनी रा'अए पेश करो।"**

सब ने कहा आप सहीह फ़रमाते हैं। इसके बाद हज़रत उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से बै'अत की। बा'द में तमाम मुहाजिर ओ अन्सार ने बै'अत के लिए हाथ बढ़ाया।

बै'अत लेने से फ़राग़त के बाद हज़रत अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और हाज़िरीन पर नज़र डाली। हज़रत ज़ुबैर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को उनमें न पा कर आपने उनको तलब फ़रमाया। जब ज़ुबैर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु मौजूद हुए तो फ़रमाया के ज़ुबैर क्या तुम इज्मा-ए-मुस्लिमीन को तोड़ना चाहते हो। उन्होंने जवाब दिया या ख़लीफ़त-उर-रसूलुल्लाह हरगिज़ नहीं और फिर ख़ुद हज़रत सिद्दीक़ से बै'अत की।

हज़रत सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने फिर हाज़िरीन पर नज़र डाली तो हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु को न पाया। आपने उनको भी तलब फ़रमाया। जब हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु आ गए तो हज़रत सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने उनसे पूछा के आप इज्मा-ए-उम्मत तोड़ना चाहते

हैं। उन्होंने भी यही जवाब दिया के ऐ ख़लीफ़त-उर-रसूल हरगिज़ नहीं फिर ख़ुद भी बै'अत की।

अब हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ओ ज़ुबैर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ने ता'ख़ीर-ए-बै'अत का उज़्र इन अल्फ़ाज़ में ज़ाहिर फ़रमाया "हमें सदमा सिर्फ़ यूँ है के हम मशवरा से पीछे रहे वरना हम अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को तमाम लोगों से ज़ियादा हक़दार-ए-ख़िलाफ़त जानते हैं क्योंकि वो हुज़ूर के ग़ार के भी साथी हैं और हम उनके शरफ़ ओ बुज़ुर्गी के क़ाइल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी ज़िन्दगी में उनको नमाज़ के लिए सब लोगों में मुंतख़ब फ़रमाया।"

शाफ़ि'ई ने फ़रमाया के "सब लोगों ने ब-इत्तिफ़ाक़ ख़िलाफ़त अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु मंज़ूर की क्योंकि वोही सब में फ़ज़ीलत ओ मर्तबा वाले थे और जब रू-ए-ज़मीन पर उन्होंने हज़रत अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से बढ़ कर किसी को भला नहीं पाया "तो बिना किसी बिना किसी बहस, सवाल या आपत्ति के, सब लोगों ने उनके सामने फ़रमाबरदार होकर सिर झुका दिया (यानी उनकी बात मान ली)।"

ख़िलाफ़त अबू बक्र पर इज्मा-ए-उम्मत

***नोट - इज्मा-ए-उम्मत** - जब किसी ज़माने के तमाम मुस्तनद और अहल-ए-इल्म उलेमा किसी शरई मसले पर एक ही राय पर मुत्तफिक (यानी सबकी राय एक) हो जाएँ, तो उसे **इज्मा-ए-उम्मत** कहते हैं।*

नोट - इज्मा-ए-उम्मत व क्यास का इंकार कुफ्र है

आला हज़रत फाजिले बरैलवी फरमाते है : हमारे अइम्मा ने इज्मा व कयास के मानने को जरूरियाते दीन में से गिना है और इसके मुंफिर को जरूरियाते दीन का मुंकिर कहा है और जरूरियाते दीन का मुंकिर काफिर है, (फ़ैजाने आला हज़रत, पेज 478 हिंदी)

फिर यह भी है के इज्मा-ए-उम्मत अबू बक्र ओ अली ओ अब्बास रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजम'ईन में से किसी एक पर हुआ था। इनमें से जब हज़रत अली और अब्बास ने हज़रत अबू बक्र से झगड़ा नहीं किया बल्कि ख़ुद भी बै'अत कर ली तो गोया अब

इज्मा-ए-उम्मत इमामत अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु पर ख़ुद ब ख़ुद क़ाइम हो गया। ज़ाहिर है के अगर अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु हक़दार-ए-इमामत न होते तो अली ओ अब्बास रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजम'ईन उनसे निज़ा (विवाद) करते जैसे अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से (विवाद) किया अगरचे उस वक़्त मुआविया रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु शान ओ शौकत के मालिक थे मगर ब-इन-हमा आपने हज़रत मुआविया रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से अपना हक़ तलब फ़रमाया हत्ता के बड़ी ख़ूनरेज़ी तक नौबत आई |

हलानके उस वक़्त हक़ तलब करना ज़ियादा दुश्वार था ब-निस्बत पहले मौक़े के (या'नी इब्तिदा-ए-ख़िलाफ़त में) क्योंकि उस वक़्त नबी से ज़माना क़रीब तर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहकाम के नफ़ाज़ (शरी'अत लागू होना) की तरफ़ लोगों को रग़बत भी बेशतर थी।

और यह बात भी नहीं भुला जा सकता कि हज़रत अब्बास ने हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु से बै'अत की लेकिन हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने उसको क़ुबूल नहीं फ़रमाया।

अगर हज़रत अली हज़रत अब्बास की रा'अए को हक़ जानते तो उनकी फ़रमाइश को कभी न टालते और हाल ये था के हज़रत ज़ुबैर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु जैसे शुजा' कमाल आपके साथ थे और बनी हाशिम और एक जमा'अत-ए-कसीर उनके साथ मुत्तफ़िक़ थी। और ख़िलाफ़त अबी बक्र रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की हक़ीक़त के सुबूत के लिए इज्मा' ही काफ़ी है इस मा'मला में नस वारिद नहीं जैसा के जम्हूर उलमा का क़ौल है बल्कि इज्मा' नुसूस-ए-ग़ैर मुतावातिर से ज़ियादा क़वी है क्योंकि उलेमा की सहमति (इज्मा') से मिले सबूत वाजेह और तय होता है, जबकि क़ुरआनी या हदीसी नुसूस से निकाले गए तफ़्सीर में कभी-कभी थोड़ा शक्क (ज़न्नी) रह जाती है।

फिर हम यूँ भी कह सकते हैं के हक़ीक़त ख़िलाफ़त अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु पर क़ुरआन की आयतें या हदीसें भी वारिद हैं जैसा के अहले तहक़ीक़ मुहद्दिसिन ओ मुफ़स्सिरीन का मसलक है।

पस जम्हूर उलमा-ए-अहले सुन्नत के क़ौल का मतलब उन बा'ज़ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक यह है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी के लिए नस नहीं फ़रमाई या'नी उसका हुक्म किसी को नहीं दिया पस इन मज़कूरा दला'इल से हज़रत सिद्दीक़ रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु की ख़िलाफ़त का हक़ पर होना साबित हो गया और ज़बरदस्ती और सुरक्षा के लिए असली बात छिपाने का शक बातिल हो गया।

फिर तक़िय्या का एहतिमाल (असली बात छिपाने का शक) तो उस वक़्त निकल सकता है के अहले ज़माना हक़ के पैरो न हों और ख़ैर-उल-क़ुरून क़रनी की स'अदत से मुशर्रफ़ न हों। (लेकिन यहाँ मा'मला इसके ख़िलाफ़ है।) चुनांचे इब्न सलाह और मु'तज़री ने कहा के "सहाबा सब के सब आदिल ओ सिक़ाह हैं।" इब्न हज़्म ने कहा के "सहाबा कुल (सभी) क़त'ई (पक्का) जन्नती हैं।"

अल्लाह त'आला ने फ़रमाया

"फतह मक्का से पहले जिन सहाबा ने दीन की नुसरत में अपना माल ख़र्च किया और जिहाद किया उनका दर्जा उन लोगों से बड़ा है जिन्हों ने फतह मक्का के बाद ख़र्च किया और जिहाद किया लेकिन अल्लाह त'आला ने सबसे हुस्ना का वा'दा फ़रमाया है।" *(सूरह अल- हदीद , आयत 10)*

अब इससे ख़िताब अगर इन्हीं सहाबा को है तो उनके लिए हुस्ना (जन्नत) का सुबूत मिला। "यहाँ यह गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि 'खर्च (इनफ़ाक़) और जिहाद' की शर्त लगाकर उन सहाबा को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने यह दोनों काम ज़ाहिर तौर पर नहीं किए। क्योंकि यह शर्तें आम तौर पर हालात को बयान करने के लिए लगाई गई हैं, न कि हक़ीक़ी पाबंदी के लिए—इसलिए इनसे उल्टा मतलब (मफ़हूम-ए-मुख़ालिफ़) नहीं निकाला जाएगा। और 'खर्च और जिहाद' से मुराद सिर्फ़ अमली तौर पर करना ही नहीं, बल्कि नीयत, इरादा और अपनी ताक़त/क़ुदरत के मुताबिक कोशिश करना भी हो सकता है।"अलावा अज़ीं यह नहीं सोचते के इकरा'ह ओ तक़िय्या का एहतिमाल तो हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की ज़ात-ए-अक़दस में नक़्स पैदा करता है क्योंकि इकरा'ह की सूरत में तर्क-ए-अफ़ज़लियत है और तक़िय्या की शक्ल में हक़ पोशी है और यह दोनों मुमनू'अ हैं।

जब आम मोमिन हत्ता-उल-इम्कान बेहतर चीज़ के छोड़ने पर राज़ी नहीं होते और मुमनू'अ बात का इर्तिकाब नहीं करते तो किस तरह शेर-ए- ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की साहिबज़ादी के शौहर, शुजा'अत ओ बहादुरी में बे-नज़ीर ऐसे ना-शाइस्ता उमूर के मुरतकिब हों।

"और ये (शिया) लोग अपनी नादानी और गुमराही की वजह से ऐसी बातों को, जो दरअसल कमी हैं उसे तारीफ़ समझते हैं, और जिस चीज़ को कमजोरी समझा जाना चाहिए उसे वे कमाल (ख़ूबी) मान लेते हैं।"

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

तर्जुमा : **"क्या वह जिसके लिए उसके बुरे काम को सजा कर अच्छा दिखा दिया गया हो, और वह उसे अच्छा समझने लगे?"** *(सुरह फातिर आयन नं 8)*

रवाफ़िज़ के खिलाफ लड़ाई और उनके माल लेने का फ़तवा

फ़तवा उलमा-ए-मावरा-उल-नहर में

उलमा-ए-मावरा-उल-नहर फ़रमाया के जब शिया हज़रात शैख़ेन ज़िन्नूरैन और अज़वाज-ए-मुतह्हरात को गाली देते हैं और उन पर ल'अनत भेजते हैं तो शरीअत के मुताबिक काफ़िर हुए। लिहाज़ा बादशाह-ए-इस्लाम और नीज़ आम लोगों पर ब-हुक्म-ए- ख़ुदा वन्दी और अल्लाह के दीन को बुलंद करने और हक़ को जाहिर करने की ख़ातिर वाजिब ओ लाज़िम है के उनको क़त्ल करें उनका फितने को जड़ से खत्म करें उनके मकानात को बर्बाद ओ वीरान करें उनके माल ओ मता'अ छीन लें यह सब मुसलमानों के लिए जाइज़ और दुरुस्त है।

रवाफ़िज़ का एतराज़

“इसके जवाब में शिया पक्ष ने एतराज़ (इंकार/रोकने के अंदाज़) के साथ कहा कि ‘अक़ाइद नसफ़ी’ के लेखक ने इस बात पर शुब्हा उठाया है कि शेख़ैन को गाली देना कुफ़्र है।”

साहिब जामी'-उल-उसूल ने शिया को इस्लामी फ़िर्कों में शुमार किया है और साहिब मवाक़िफ़ ने भी यही लिखा है।

इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली के नज़दीक शैख़ेन को गाली देना कुफ़्र नहीं और शेख़ अश'अरी शियों को बल्कि तमाम अहले क़िबला को काफ़िर नहीं जानते।

लिहाज़ा यह हज़रात जो शियों को काफ़िर कहते हैं न तो मोमिनीन के साथ उनका ख़याल मिलता है न क़ुरआन ओ हदीस की रू से यह अपने ख़याल में हक़ पर हैं।

जवाब (शैख़ेन को गाली देना कुफ़्र है)

“जिस बात पर यह पूरी दलील खड़ी की गई है, वही बुनियाद गलत है, इसलिए पूरी दलील भी गलत हो जाती है। हम इस बात को साबित करते हैं कि शैख़ेन (हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर) को गाली देना कुफ़्र है, और इस पर सहीह हदीसें मौजूद हैं।”।

इनमें से एक वो हदीस है जिसको मुहामाली, तबरानी और हाकिम ने उवैम बिन सा'इदा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत किया है के

हुज़ूर ने फ़रमाया **"अल्लाह त'आला ने मुझको पसंद फ़रमाया और मेरे अस्हाब को मेरे लिए बा'ज़ को उनमें से वज़ीर बनाया। बा'ज़ को मददगार और बा'ज़ को रिश्तेदार। अब जो उनको गाली देगा उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सबकी ल'अनत होगी और अल्लाह त'आला न उसकी तौबा और फ़िदिया क़ुबूल फरमाएगा न फ़र्ज़ ओ नवाफ़िल उसके क़ुबूलियत को पहुँचेंगे।"**

इसी तरह दार क़ुतनी हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया के

"मेरे बाद ऐसी क़ौम आएगी जिन को राफ़िज़ी कहेंगे। अगर तुम उनको पाओ तो उनको क़त्ल करो। क्योंकि वो मुशरिक होंगे।" (अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु) कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी निशानी और पहचान क्या है। हुज़ूर ने फ़रमाया "आपकी शान में ऐसी सिफ़ात बयान कर के बढ़ायेंगे जो आप में नहीं होंगी। और वे दीन के पहले बुज़ुर्गों (हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर) पर भी इल्ज़ाम या बुरा कहना शुरू कर देंगे ।"

और इसी हदीस की रिवायत दूसरे तरीक़ से भी की है और एक रिवायत में इस तरह ज़ियादती भी है के **"उनकी निशानी ये होगी के वो अबू बक्र और उमर को गाली देंगे और जो मेरे अस्हाब को गाली दे उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और तमाम लोगों की ल'अनत है।"** और इसी तरह बहुत सी अहादीस नक़्ल हैं जो इस रिसाला में समा नहीं सकते।

नीज़ शैख़ेन को गाली देना उनके साथ बुग़्ज़ रखने का कारण है और उनके साथ बुग़्ज़ रखना कुफ़्र है दलील ये हदीस है **"जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा जिसने उनको अज़ीयत पहुँचाई उसने मुझको अज़ीयत दी और जिसने मुझको अज़ीयत दी उसने ख़ुदा को अज़ीयत पहुँचाई।"**

इब्न असीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यूँ रिवायत करते हैं के आपने फ़रमाया के **"अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ओ उमर**

रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु के साथ मोहब्बत ईमान है और उनके साथ बुग़्ज़ रखना कुफ्र है।"

अब्दुल्लाह बिन अहमद हज़रत अनस रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत नक़्ल करते हैं के आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "मैं अपनी उम्मत के वास्ते अबू बक्र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ओ उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु के साथ मोहब्बत रखने में उसी सवाब की उम्मीद रखता हूँ जो उम्मीद मुझे उनके ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में है।"(यानी जो शैख़ैन से मुहब्बत नहीं करता गोया ला इलाहा का इंकार करता है और यह इंकार कुफ्र है)

अब उनके साथ बुग़्ज़ रखने को उनकी मोहब्बत पर क़यास करना चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के नक़ीज़ हैं, नीज़ मोमिन को काफ़िर ठहराना कुफ्र का सबब है।

चुनांचे सही हदीस में है कि **"जिसने किसी पर कुफ्र की तोहमत लगाई और कहा कि वो अल्लाह का दुश्मन है हलानके वो ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसा है तो खैर, वरना ये तोहमत उसी पर लौटती है।"**

और हम यक़ीन से जानते हैं कि अबू बक्र रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ओ उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु मोमिन हैं और ख़ुदा के दुश्मन नहीं और उनको जन्नत की ख़ुशख़बरी दी गई है, लिहाज़ा उनको काफ़िर कहने से कुफ्र, कहने वाले की तरफ़ लौटेगा।

ये हदीस गो ख़बर-ए-वाहिद (ऐसी हदीस जो एक व्यक्ति से आई हो) है लेकिन उनकी तकफ़िर (किसी मुस्लिम को काफ़िर मानना) का हुक्म इससे मा'लूम होता है अगरचे उसका मुनकिर काफ़िर नहीं होता।

अजल शुयूख़-उल-इस्लाम इमाम अस्र अबू ज़रा'आ राज़ी कहते हैं कि **"जब तुम किसी को हुज़ूर के किसी सहाबी की तनक़ीस करते देखो तो जान लो के वो ज़िन्दीक़ है और ये इसलिए कि क़ुरआन हक़ है, रसूल हक़ हैं और जो आप लाए हैं वो हक़ है और ये सब कुछ हमें सहाबा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से ही पहुँचा है, अब उन पर जो जरह करता है तो वो गोया किताब और**

सुन्नत को रद्द करता है लिहाज़ा जरह उसी पर ज़ियादा मौज़ूँ है और उस पर ज़िन्दीक़, गुमराह, झूटा और मु'आनिद होने का हुक्म लगाया जाएगा।"

फ़रमाया सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी ने जिनका इल्म, ज़ुह्द, मा'रिफ़त और जलाअत-ए-शान मुहताज-ए-त'आर्रुफ़ नहीं कि "जिस को असहाब-ए-रसूल के साथ ख़ुश अक़ीदगी न हो वो गोया रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया।"

अब्दुल्लाह बिन मुबारक से पूछा गया (और आपकी ज़ात भी इल्म ओ जलाअत-ए-शान में मुहताज-ए-बयान नहीं) कि मुआविया रदिअल्लाहु अन्हु अफ़ज़ल हैं या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़।

आपने कहा के वो ग़ुबार जो हज़रत मुआविया रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के घोड़े के नाक में दाख़िल हुआ जबके वो हुज़ूर के साथ चलने वाला थे बेहतर है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से।

गोया आपने इससे इस हक़ीक़त की तरफ़ इशारा किया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सोहबत और आपकी रु'यत का कोई चीज़ मुक़ाबला नहीं कर सकती। फिर ये ज़िक्र उनका है जो अकाबिर सहाबा नहीं हैं और आपको सिर्फ़ देखने का शरफ़ उनको नसीब है।

फिर ज़रा ख़याल तो कीजिए कि जिन्होंने आपको देखने के बावजूद आपकी हमराही में जिहाद किया हो या आपके ज़माना में आपके हुक्म से जिहाद में शिरकत की हो या आपके बाद आने वालों तक शरी'अत की कोई बात पहुँचायी हो या सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ातिर अपना कुछ माल ख़र्च किया हो तो ऐसे बुज़ुर्गों की फ़ज़ीलत तक ज़ेहन की रसा'ई मुमकिन नहीं और इसमें शक नहीं कि शैख़ेन रदिअल्लाहु त'आला अन्हुमा अकाबिर सहाबा में से हैं बल्कि अफ़ज़ल-ए-सहाबा। “इसलिए उन्हें काफ़िर कहना, बल्कि उनकी बुराई/तौहीन करना—यह खुद कुफ्र, ज़ंदक़ा (निफ़ाक़/दीन से हटना) और गुमराही का कारण है।”

नमाज़ के मसला-ए-मुहीत में हज़रत इमाम मुहम्मद फ़रमाते हैं के "राफ़िज़ियों के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं क्योंकि वो ख़िलाफ़त हज़रत सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से मुनकिर हैं। हलानके सहाबा का आपकी

ख़िलाफ़त पर इत्तिफ़ाक़ है।" खुलासा में है जो हज़रत सिद्दीक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की ख़िलाफ़त से इंकार करे वो काफ़िर है और हर साहिब-ए-ख़्वाहिश और साहिब-ए-बिद'अत के पीछे नमाज़ मकरूह है और राफ़िज़ियों के पीछे भी नमाज़ जाइज़ नहीं। फिर साहिब-ए-खुलासा कहते हैं के "हर वो ख़्वाहिश जो कुफ्र की हद तक पहुँचा दे उस ख़्वाहिश वाले के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं अगर कुफ्र की हद तक न पहुँचाए तो नमाज़ जाइज़ है लेकिन मकरूह।"

और असह क़ौल पर यही हुक्म उस शख्स का है जो हज़रत उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की ख़िलाफ़त का इंकार करता है लिहाज़ा जब उनकी ख़िलाफ़त से इंकार कुफ्र ठहरा तो उसका क्या हाल होगा जो उनको गाली देगा या उन पर ल'अनत भेजे। इस तक़रीर से साफ़ ज़ाहिर हुआ के शिया को काफ़िर ठहराना अहादीस-ए-सेहाह के मुताबिक़ और तरीक़-ए-सलफ़ के मुवाफ़िक़ है,

"अब बा'ज़ अहले सुन्नत से शिया को काफ़िर न मानने का जो ख़याल नक़्ल है, अगर उसको सही मान कर शिया को काफ़िर न मानने पर उसकी दलालत को मान लिया जाए, तो पहले तौजीह (समझाना) और ता'वील (व्याख्या) के ज़रिये जांचा जाएगा (उसका सही मतलब निकाला जाएगा), फिर उसे हक़ीक़त या हुक्म पर लागू (महमूल) किया जाएगा, ताकि वह अहादीस और मज़हब-ए-जम्हूर उलेमा के मुताबिक़ हो (यानी वह हदीस के खिलाफ न जाए और इज्मा-ए-उम्मत से टकराए नहीं)।

हज़रत आइशा पर रवाफ़िज़ का ऐतिराज़ का जवाब

रवाफ़िज़ का मौक़िफ़

शिया यह कहते हैं कि वे Aisha bint Abu Bakr (रज़ि.) को गाली नहीं देते, लेकिन क़ुरआन की आयत के खिलाफ अमल का हवाला देकर उनके ऊपर ऐतिराज़ करते हैं।"

"वे (शिया) यह कहते हैं कि हज़रत आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के बारे में जो गंदी या बेअदबी वाली बातें उन शिया पर आरोप लगाई जाती हैं, उनसे वे खुद को पाक (बरी) बताते हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जब हज़रत आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

"व क़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना"

तर्जुमा : और रहो अपने घरों में। *(सूरह अल-अहज़ाब, 33)*

की मुख़ालफ़त की (यानी घर से बाहर निकली) और बसरा में आ कर हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जंग के लिए खड़ी हुइ जबके ब-मुताबिक़ हदीस "अली के साथ लड़ा'ई नबी के साथ लड़ा'ई है" तो गोया हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु से जंग करना ख़ुद हज़रत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम से जंग करना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जंग करने वाला यक़ीनन - मक़बूल नहीं लिहाज़ा इस बिना पर आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा त'न ओ तश्नी'अ (नफरत) का निशाना बनें।

सुन्नी जवाब

घरों में रहने का हुक्म और उनसे निकलने की मुमाना'अत मुतलक़ मुराद नहीं के तमाम हालात और ज़मानों को शामिल किया हो क्योंकि बा'ज़ अज़वाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बा'ज़ सफ़रों में जाना इस पर दलालत करता है। लिहाज़ा घर में रहना" का हुक्म आम शब्द में आया, लेकिन ख़ास

हालात/लोगों (Condition) पर लागू हुआ इसका मफ़हूम ज़न्नी (यानी शक के साथ) है, पक्का नही नहीं।,

इज्तिहाद करने(क़ुरआन, हदीस और इज्मा के आधार पर नया फ़तवा देने) की इख़्तियार है जिसपर कई आदमियों का समान अधिकार हो उसके सबब किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर लागू होने वाली हुक्म का इस्तेमाल करके उस हुक्म को उन पर लागू न करे

और बिला शुबह उम्म-उल-मोमिनीन हज़रत आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा आमिला मुजतहिदाह थीं (क़ुरआन, हदीस और इज्मा के आधार पर नया फ़तवा देने की काबिलियत रखती थीं और फ़तवा देने की क्षमता रखती थीं)।

चुनांचे तिर्मिज़ी अबू मूसा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत लाते हैं के उन्होंने (अबू मूसा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु) ने कहा "हम अस्हाब-ए-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी हदीस के बारे में कोई इश्काल हमने उसको हज़रत आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के सामने पेश किया तो हमने उसके मुतल्लिक़ उनके पास पूरा पूरा इल्म पाया।"

और इसी तरह तिर्मिज़ी मूसा इब्न तलहा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत लाते हैं के **"उन्होंने कहा के मैंने किसी को हज़रत आइशा से ज़ियादा फ़सीह न पाया।"** पस हो सकता है के आइशा रज़ि अल्लाह त'आला अन्हा ने बा'ज़ औक़ात या बा'ज़ हालात कुछ मनाफ़'ए ओ मसालिह की बिना पर अपने निकलने को इस हुक्म से मख़सूस कर लिया हो और इसमें कोई क़बाहत नहीं और इस पर कोई ऐतिराज़ नहीं किया जा सकता। अलावा इसके हम कहते हैं के आयत से ब-ज़ाहिर अगर हिजाब या ढकने की चीज़ (पर्दा) नहीं हो तो रोक-टोक या मनाही का पता चलता है चुनांचे बा'द का कलाम

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"व ला तबर्रजना तबर्रुज अल-जाहिलियतु अल-उला"

तर्जुमा : **बेपर्दा न रहो जैसे पहले की जाहिलियत की तरह की बेपर्दगी।**

(सूरह अल-अहज़ाब, 33)

इस पर साफ़ दलील है। लेकिन अगर कोई हिजाब और ढकने की पूरी हिफ़ाज़त किए बिना बाहर निकले, तो वह तरीका शरीयत के हिसाब से रद्द है।"

ज़ाहिर है हज़रत सिद्दीक़ा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा का निकलना इस्लाह के लिए था न के लड़ा'ई के लिए। मुहक़्क़िक़ीन की यही तहक़ीक़ है और अगर लड़ा'ई के लिए भी होता जैसा के मश'हूर है तो इसमें भी मुज़ाईक़ा नहीं क्योंकि वो इज्तेहाद की बिना पर था न के ख़्वाहिश-ए-नफ़सानी के बा'इस।

चुनांचे शरह मवाक़िफ़ आमदी से नक़्ल करते हैं के जंग-ए-जमल ओ सिफ़्फ़ीन के वाक़िआत इज्तेहाद पर मब्नी थे और मुजतहिद गो अपने इज्तेहाद में ग़लती पर हो उस पर शरई गिरिफ़्त नहीं।

क़ाज़ी बैज़ावी तफ़सीर आयत

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

तर्जुमा : **अगर अल्लाह पहले एक बात लिख न चुका होता तो ऐ मुसलमानों तुम ने जो काफ़िरों से बदले का माल ले लिया उसमें, तुमपर बड़ा अज़ाब आता।** (सूरह अल-अनफ़ाल, आयत 68)

के ज़ैले में कहते हैं के अगर लौह-ए-महफ़ूज़ में ये हुक्म पहले लिखा हुआ न होता तो तुम सबको अज़ाब आ पकड़ता और वो लिखा हुआ ये है के मुजतहिद को उसकी इज्तेहादी ग़लती पर सज़ा न दी जाएगी बल्कि हम कहते हैं के मुजतहिद की ग़लती ख़ुदा के नज़दीक हिदायत है।

जैसा के उमर बिन ख़त्ताब रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की रिवायत है के वो कहते हैं के मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ये कहते सुना के मैंने अपने बाद सहाबा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के इख़्तिलाफ़ के बारे में सवाल किया तो जवाब आई "**ऐ मुहम्मद तुम्हारे असहाब मेरे नज़दीक आसमानी सितारों की मानिंद हैं बा'ज़ बा'ज़ से क़वी तर हैं अगरचे सब के सब पुर नूर हैं पस जिसने उनके पास से कुछ लिया तो वो हिदायत पर है।"**

फिर कहा **"मेरे असहाब मिस्ल सितारों के हैं तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे।"** रही हदीस "हर्बक हर्बी" तो हो सकता है ये हदीस हज़रत सिद्दीक़ा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के नज़दीक पाया-ए-सुबूत तक न पहुँची हो या के किसी ख़ास लड़ा'ई के साथ मख़सूस हो क्योंकि हो सकता है (हरीक) में इज़ाफ़त अहद-ए-मद के लिए हो (या'नी फ़ुलान लड़ा'ई जो हज़रत अली रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से करेगा। वो मेरे साथ लड़ा'ई करेगा।) ऐतिराज़ शिया बर कुतुब अहले सुन्नत।

रवाफ़िज़ का मौक़िफ़

नीज़ अपनी किताबों को रिवाज देने और कुतुब अहले सुन्नत को कमज़ोर बनाने के लिए शिया ने बयान किया है के अहले तशय्यु तो ये कहते हैं के **"जिस वक़्त इब्न उम्म मक्तूम खिदमत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में थे आपकी अहल-ए-हरम में से किसी का गुज़र हुआ। हुज़ूर ने उस पर ऐतिराज़ फ़रमाया उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ये शख्स तो अंधा है। हुज़ूर ने फ़रमाया के तुम तो अंधी नहीं हो।"** और अब ज़रा देखो (अहले सुन्नत अपनी किताबों में बयान करते हैं के पैग़म्बर ने आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा को अपने शाना-ए-मुबारक पर उठाया ताके वो उस जमा'अत का तमाशा देखें जो गली में साज़ नवाज़ी कर रही थी।

फिर कुछ देर बाद फ़रमाया। ऐ हुमैरा (लक़ब हज़रत आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा) क्या तुम तमाशे से सैर हुईं। इस फ़े'ल की निस्बत रज़ील तरीन इंसान की तरफ़ भी नहीं कर सकते।

जवाब

पोशीदा न रहे के हो सकता है ये वाक़ि'अ आयत के नुज़ूल से पहले का हो और इब्न उम्म मक्तूम से पर्दा करने का हुक्म बा'द का। इसी तरह हो सकता है के वो खेल जाइज़ हो और मुमनू'अ न हो। चुनांचे सहीह अहादीस से उसकी त'ईद भी मिलती है जो अनक़रीब ज़ेर-ए-तहरीर आएंगी। के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में नेज़ा बाज़ी हुआ करती थी और उसकी हैसियत तीर अंदाज़ की सी है क्योंकि दोनों अमल जिहाद के आए हैं। और तीर अंदाज़ी ला-महाला मशरू'अ है पस ज़रूर नेज़ा बाज़ी भी इसी में शुमार में

आएगी। फिर मस्जिद में इस खेल का खेला जाना इस अम्र की साफ़ दलील है के खेल जाइज़ ओ मशरू'अ था। अगर हम तसलीम भी कर लें के ये वाक़ि'अ बा'द नुज़ूल आयत हिजाब का है के हमको ये कहने का हक़ है के उस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा कम सिन थीं।

मुकल्लफ़ा न थीं (के पर्दा की ज़िम्मेदारी उन पर आती) जैसा के बुख़ारी ओ मुस्लिम की इस रिवायत से ज़ाहिर है जो हज़रत आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा से नक़्ल करते हैं के फ़रमाती हैं "अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे हुजरे के दरवाज़े पर खड़े हो जाते और हब्शी लोग मस्जिद में खेल खेलते होते।

हुज़ूर मुझको अपनी

चादर की आड़ में ले लेते ताके हब्शियों का खेल आपके शाने और कान के दरमियान से देखूँ फिर मैं कहती हूँ के आप मेरी ही वजह से खड़े रहते हत्ता के मैं ही वापस लौटती।

" लिहाज़ा इससे अंदाज़ा कीजिए एक कम सिन खेल की हरीस लड़की के शौक़ का।

सहाबा-ए-किराम के आपसी इख़्तिलाफ़

जान लीजिए के सहाबा इकराम के मा'अमलात में दख़ल देना और उनके इख़्तिलाफ़ात में फ़ैसला करना हद्द से ज़्यादा बे-अदबी और इंतेहाई बद नसीबी है। इसमें सलामती का पहलू ये है के इन बुज़ुर्गों के दरमियान जो इख़्तिलाफ़ात और झगड़े रूनामा (घटित) हुए हैं उन सबको हक़ सुभानहु के इल्म के सुपुर्द करें और उन सबको नेकी से याद करें और उनके साथ मोहब्बत को हज़रत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत जानें जैसा के सहीह हदीस में वारिद है

"जिसने उनके साथ मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत होने की वजह से उनसे मोहब्बत की।"

शाफ़ि'ई ने फ़रमाया और ये दरअसल उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से मनक़ूल है के

> "इन सहाबा के वो ख़ून हैं जिनसे अल्लाह ने हमारे हाथों को पाक रखा, पस चाहिए के हम उनसे अपनी ज़ुबान को पाक रखें।"

यह जुमला सहाबा-ए-किराम के बीच जो इख़्तिलाफ़ या जंगें हुईं (जिन्हें मुशाजिरात-ए-सहाबा कहा जाता है) उनके बारे में अदब और खामोशी रखने की तालीम देता है।

लेकिन चूंकि शिया सहाबा को बुराई से याद करते हैं उन सब पर गाली देने और लानत करने की जुर'अत करते हैं। इसलिए उलमा-ए-इस्लाम पर वाजिब ओ लाज़िम है के उनका मज़बूती के साथ रद्द करें और उनकी बुराइयों व फ़सादों को पूरी तरह लोगों के सामने जाहिर कर दें।"। चुनांचे इस हक़ीर की चंद बातें जो तहरीह आई हैं वो इसी ज़ुमरा की हैं जैसा के ऊपर ज़िक्र हुआ।

इस्लाही दुआ

ऐ रब्ब हमारे न पकड़ हमको अगर भूल जाएं हम या चूक जाएं और ऐ हमारे परवरदिगार न रख हम पर बोझ जैसा के रखा तू ने उन पर जो हमसे पहले थे और ऐ हमारे रब्ब न उठवा हमसे वो चीज़ के न हो ताक़त हम में उसकी और माफ़ कर हमको और बख़्शिश कर हमारी और रहम फरमा हम पर तू है हमारा आक़ा पस मदद फरमा हमारी काफ़िरों की क़ौम और उनके शर से।

ये है जो कुछ मुझको इन शियों के रद्द में मुयस्सर आ सका और उनकी बुराई के इज़हार में मुहैया हो सका, अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसकी मदद ओ मु'आवनात के तुफैल। अब हम अल्लाह से सवाल करते हैं के वो हमारे दिलों को अपने दीन पर क़ा'इम ओ साबित रखे और। और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुताबी'अत की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।

और अब इस रिसाले को हम अच्छे ख़ात्मे से ख़त्म करते हैं और अहले बैत रज़िअल्लाहु त'आला अन्हुम के मनाक़िब ओ महासिन, मदायह ओ फ़ज़ाइल भी इसके साथ ज़म करते हैं।

मनाक़िब (तारीफ़)-ए-अहले बैत

फ़रमाया अल्लाह सुभानहु ने

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

तर्जुमा : **अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों कि तुम से हर नापाकी दूर फ़रमा दे और तुम्हें पाक करके ख़ूब सुथरा कर दे।** *(कंज़ुल ईमान, सूरह अल-अहज़ाब, आयत 33)*

अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यह आयात अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु, फातिमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा और हुसैन रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई है क्योंकि इसमें ज़मीर "अन्कुम" की मुज़क्कर है और जो बाद की ज़मीरें हैं वो भी मुज़क्कर हैं।

यह भी कहा गया है कि यह अज़वाज-ए-मुतह्हरात के हक़ में उतरी है क्योंकि क़ुरआन शरीफ़ में है:

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

"वज़कुर्ना मा युत्ला फ़ी बुयूतिकुन्ना।"

तर्जुमा : **और याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयतें और हिकमत।** *(कंज़ुल ईमान, सूरह अल-अहज़ाब, आयत 34)*

यह तफसीर इब्न अब्बास रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु की तरफ मंसूब है। बा'ज़ का कहना है कि इससे मुराद सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। इमाम अहमद ने अबी सईद खुदरी रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत की है कि "यह आयात पाँच बुज़ुर्गों के हक़ में नाज़िल हुई है। या'नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अली, फातिमा, हसन और हुसैन रज़िअल्लाहु त'आला अन्हुम।"

सा'लबी कहते हैं कि आयत में अहल से मुराद तमाम बनी हाशिम हैं। जिससे मुराद गुनाह और अरकान-ए-ईमान में शक करना है और इस रिवायत

के बा'ज़ तरीकों में "लिज़हिबा अन्कुम अर-रिजस" से मुराद अहले बैत पर आग को हराम करना है।

हज़रत सा'द बिन अबी वक़ास रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत है कि "जब आयत-ए-मुबाहला

"نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ"

"नद'उ अबना'अना व अबना'अकुम"

तर्जुमा : **"हम अपने बच्चों और आपके बच्चों को बुलाते हैं।"** सूरह आल-इमरान (आयत 61)

नाज़िल हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली, फातिमा और हसन ओ हुसैन रज़िअल्लाहु त'आला अन्हुम को बुलाया और फ़रमाया ऐ अल्लाह यह मेरे अहले बैत हैं।"

हज़रत मिसवर बिन मखरमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत है कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया

फातिमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा मेरे गोश्त का टुकड़ा हैं जिसने इनको गुस्सा किया उसने मुझको गुस्सा किया।"

और एक रिवायत में यूँ है कि "जो चीज़ इनको बेचैन करती है वो मुझको बेचैन बेकरार करती है और जो इनको अज़ीयत पहुँचाती है वो मुझको अज़ीयत पहुँचाती है।"

हज़रत अबू हुरैरा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु कहते हैं कि "मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ दिन के वक़्त एक हिस्से में बाहर निकला जब आप हज़रत फातिमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा के घर पहुँचे तो फ़रमाया क्या यहाँ लड़का है क्या यहाँ बच्चा है या'नी हसन रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु। थोड़ी ही देर गुज़री होगी कि हसन दौड़ते हुए आए और आपके गले से लिपट गए और आप भी उनसे लिपट गए फिर आपने फ़रमाया ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत कर और उस शख्स से भी तू मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे।"

हज़रत अनस रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु कहते हैं कि हसन बिन अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से ज़ियादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुशाबिह कोई नहीं था। और हुसैन रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु की निस्बत भी अनस रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु ने कहा कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बहुत मुशाबिह थे।

हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने **"मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जाता हूँ कि अगर तुम उनको मज़बूत पकड़े रहे तो मेरे बाद गुमराह न होगे। उनमें से एक चीज़ दूसरी से बड़ी है एक अल्लाह की किताब है जो आसमान से ज़मीन तक एक लटकी हुई रस्सी है और दूसरी मेरी औलाद और अहले बैत हैं और यह दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी यहाँ तक कि हौज़-ए-कौसर पर आयेंगी पस तुम देखो मेरे बाद तुम उनके साथ क्या सुलूक करते हो।"**

इन्हीं ज़ैद बिन अरक़म रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि "जो अली, फातिमा, हसन ओ हुसैन रज़िअल्लाहु त'आला अन्हुम से लड़े मैं उससे लड़ने वाला हूँ और जो शख्स उनसे मुसालहत (मेल-मिलाप) रखे मैं उससे मुसालहत(मेल-मिलाप) रखने वाला हूँ।"

हज़रत जमी' बिन उमैर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु कहते हैं कि "मैं अपनी फूफी के हमराह आइशा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ पस मैंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सब में कौन ज़ियादा अज़ीज़ है। उन्होंने कहा कि फातिमा। फिर मैंने पूछा अच्छा मर्दों में कौन सबसे ज़ियादा महबूब है फ़रमाया उनके शौहर।"

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फ़रमाया "हसन ओ हुसैन दुनिया के दो फूल हैं।"

हज़रत अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु कहते हैं कि "हसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सीने से सर तक सबसे ज़ियादा मुशाबिहत रखते हैं और हुसैन जिस्म के ज़ेरीन (शरीर के कीमती हिस्से) में हुज़ूर से सबसे ज़ियादा मुशाबिह हैं।"

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु कहते हैं कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हसन बिन अली रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु को अपने कंधे पर उठाए हुए थे कि एक शख्स ने कहा कि ऐ बच्चे तू बड़ी अच्छी सवारी पर सवार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया वो सवार भी तो बहुत अच्छा है।"

हज़रत आइशा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा फरमाती हैं कि "लोग हदीय भेजने के लिए उन दिन के इंतज़ार में रहते जबके आप मेरे हाँ होते और इससे महज़ हुज़ूर की खुशनूदी मक़सूद होती।

फरमाती हैं कि अज़वाज-ए-मुतह्हरात के दो गिरोह थे एक गिरोह में आइशा, हफ्सा, सफ़िय्या और सौदह रज़िअल्लाहु त'आला अन्हुमा, और दूसरे गिरोह में उम्म सलमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा और सब बीवियाँ थीं।

पस उम्म सलमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा के गिरोह ने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहें कि हुज़ूर लोगों से फरमा दें कि जो शख्स भी खिदमत में हदिया पेश करना चाहे वो पेश कर दे ख्वाह आप किसी भी बीवी के हाँ तशरीफ रखते हों (क्योंकि ज़ियादा हदिया उसी दिन आते जब आपका क़ियाम आइशा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा के हाँ होता)।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब दिया कि "मुझको आइशा के बारे में मत सताओ इसलिए के वहीये इलाही मेरे पास किसी औरत के लिहाफ (कंबल) में नहीं आती सिवाए आइशा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा के।"

इस पर हज़रत उम्म सलमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा बोलीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ कि मैं आपको तकलीफ़ पहुँचाऊँ।

फिर उम्म सलमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा के गिरोह ने मतलब बरारी में हज़रत फातिमा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा को वास्ता डाल कर उनको हुज़ूर के पास भेजा उन्होंने इस बारे में बात चीत की।

हुज़ूर ने फ़रमाया "ऐ बेटी क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं रखतीं जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ।" उन्होंने कहा बेशक। आपने फ़रमाया "पस तो तुम आइशा से मोहब्बत रखो।"

आइशा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा फरमाती हैं कि "मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवियों से किसी भी बीवी पर इस क़दर रश्क नहीं होता था जिस क़दर हज़रत खदीजा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा से होता था हालाँकि मैंने उनको देखा भी नहीं था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनको अक्सर ओ बेस्तर याद फ़रमाया करते थे। और जब आप कोई बकरी ज़िबाह करते तो उसके गोश्त के टुकड़े कर के हज़रत खदीजा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा की सहेलियों को भेजते और बहुत दफा मैं कह दिया करती के आपके नज़दीक सिवाए खदीजा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा के दुनिया में कोई औरत ही नहीं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते खदीजा रज़िअल्लाहु त'आला अन्हा ऐसी थीं ऐसी थीं और उनके बतन (गर्भ) से मेरी औलाद है।"

इब्न अब्बास रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने **"अब्बास मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ।"**

इब्न अब्बास रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने **"तुम ख़ुदा से इसलिए मोहब्बत करो के वो ग़िज़ा और अपनी ने'मतें अता करता है और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो के तुम ख़ुदा से मोहब्बत रखते हो और मेरे अहले बैत को मेरी मोहब्बत की वजह से महबूब रखो।"**

अबू ज़र रज़िअल्लाहु त'आला अन्हु का'बा के दरवाज़े को पकड़े हुए कहते हैं कि **"मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह कहते हुए सुना है के मेरे अहले बैत तुम्हारे लिए नूह की कश्ती की मानिंद हैं जो शख्स इस कश्ती में सवार हुआ उसने निजात पायी और जो कश्ती में सवार होने से पीछे रह गया वो हलाकत का लुक़्मा हुआ।"**

बस रिसाला इसी पर खत्म होता है।

इलाही ! ब-हक़्क़-ए-बनी-फ़ातिमा
कि बर-क़ौल-ए-ईमाँ कुनी ख़ातिमा
अगर दा'वतम रद कुनी वर कुबूल
मन-ओ-दस्त-ओ-दामान-ए-आल-ए-रसूल

~शेख़ सादी रदीअल्लाहु तआला अन्ह।

तरजुमा : या अल्लाह! तुझे हज़रत फ़ातिमा और उन की औलाद का वास्ता, मेरा ख़तमा-ए-ईमान पर करना। अगर तू ने मेरी दुआ कबूल न की तो मैं क़यामत के दिन आल-ए-रसूल का दामन पकड़ कर फ़रियाद करूंगा।)

सब तारीफ अल्लाह के लिए है और सलाम उसके बर-गुज़ीदा बंदों पर। ऐ मेरे रब्ब नबी अरबी और अहले बैत के सदक़ा में मेरी और मेरे वालिदैन की बख़्शिश फरमा। और सरदार-ए-मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके अहले बैत के तुफैल मेरे वालिदैन, तमाम अहबाब और मुझे एहसान से नवाज़।

अब ख़ात्मा पर सारी तारीफ अल्लाह के लिए और सलावात ओ सलाम उसके हबीब मुहम्मद नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो क़यामत तक के लोगों के सरदार ओ आक़ा हैं।

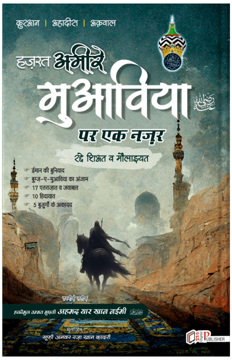

इसे पढ़ना न भूले

Related New कुतूब (2025)

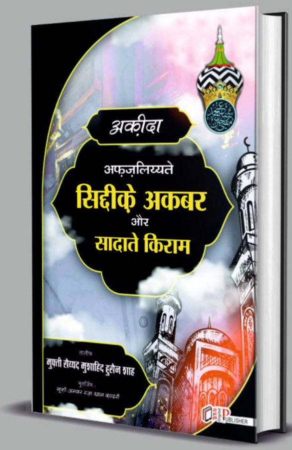

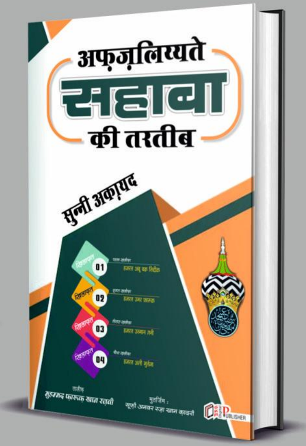

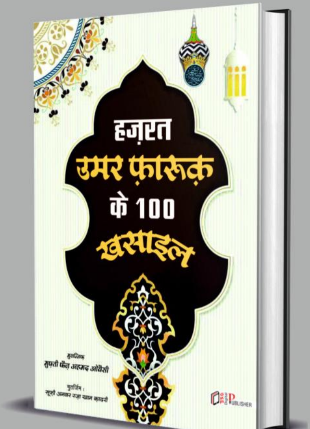

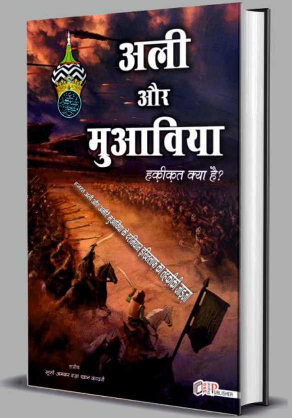

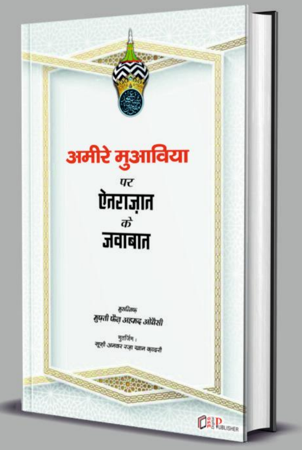

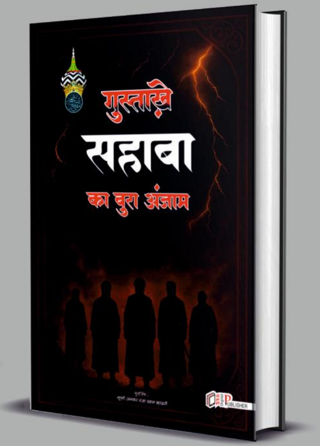

Comming Soon More New Books

www.ghausokhwajaorazatrust.com